राजस्थान विधान सभा

३४ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–४ जून, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ५ बजकर १० मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १०१६

गोटा-किनारी का लाल झगा पहनने के कारण
एक हरिजन दूल्हे की पिटाई

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्रीः—क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम चाँदनोली थाना बोंली जिला सवाई माधोपुर में तारीख १०-५-५४ को एक हरिजन (चमार) दूल्हे को इसलिये लाठियों से मारा कि वह गोटे किनारी का लालझगा पहन कर आया था ?

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के चोटें आईं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि हमलावरों ने दूल्हे की तलवार, जूते तथा अन्य सामान भी लूट लिया ?

(घ) इस घटना पर पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ? अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि किया गया तो किस तारीख को ?

Page No.2

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त घटना को एक हरिजनों का मामला समझ कर संबन्धित पुलिस अधिकारियों द्वारा तुरन्त ध्यान नहीं दिया गया और न तत्काल ही कोई कार्यवाही की गई ?

(च) यदि ऐसा हुआ है तो क्यों ?

श्री **नरसिंह कछवाहा** (उपमन्त्री, गृह विभाग :—(क) हाँ, यह सच है कि वर को दो मीणों ने लाठियों से चोट पहुँचाई थी।

(ख) केवल वर के साधारण चोट लगी थी।

(ग) यह निश्चित नहीं है। मामले की जाँच की जा रही है और तथ्य निश्चित किया जा रहा है।

(घ) भारतीय दंड विधान की धारा १४७ और ३८६ के अंतर्गत मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है और जाँच हो रही है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(ङ) यह कहना सही नहीं है कि पुलिस मुकदमे की जाँच में असावधानी कर रही है। घटना के तत्काल बाद ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और पुलिस द्वारा अविलम्बरूप से कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, मगर क्योंकि मुकद्में में चालान के लिये और सत्य तथ्य की आवश्यकता है, इसलिये तथ्य का पता लगाया जा रहा है।

श्री **हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री**—अब तक इस मामले में किस-किस की गिरफ्तारी की गई है ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री **हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री**—कब तक गिरफ्तारी होगी ? चार महीने, ६ महीने या ८ महीने के बाद यह कितने समय में पूरा होजायगी ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—तथ्य का पता लगाया जा रहा है।

श्री **जसवन्तसिंह**—अभी मन्त्रीजी ने कहा था कि सत्य का पता लगाया जा रहा है, तो क्या अभी तक यह भी पता नहीं लग पाया है कि वाकया हुआ था या नहीं ?

श्री **अमृतलाल यादव**—सत्य के बारे में आपने नहीं कहा था, बल्कि तथ्य के बारे में कहा था।

श्री कंवरलाल जैलिया—जब आप यह स्वीकार कर चुके हैं कि दूल्हे पर वार हुआ था तो उसके बावजूद भी गिरफ्तारी न होने का क्या कारण है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जाँच की जा रही है। हलकी सी चोटें हैं, ऐसी गहरी चोटें नहीं हैं।

श्री कंवरलाल जैलिया—मेरा सवाल यह है कि एक हरिजन के ऊपर दूसरे वर्ण वालों ने वार करके सामाजिक अधिकारों का कुठाराघात किया; तो क्या पुलिस की डयुटी नहीं थी कि तत्काल गिरफ्तारी करती ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैंने कहा कि जाँच की जा रही है कि किसको गिरफ्तार किया जाय। सुबूत, गवाहें आदि इकटी की जा रही हैं।

श्री कंवरलाल जैलिया—मैं आपके कथन पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन जब हरिजनों के ऊपर सामुहिक हमला हुआ, तो क्या पुलिस की डयुटी नहीं थी कि गिरिफ्तारी करती ?

श्री नरसिंह कछवाहा—सामुहिक हमला नहीं हुआ। एक आदमी के मामूली चोट लगी है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या वह हमला व्यक्तिगत कारणों से हुआ ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या व्यक्तिगत कारणों से हमला नहीं हुआ ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैंने इसका उत्तर दे दिया था (क) में।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस व्यक्ति के चोट आने के बाद उसकी शादी हुई या नहीं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसकी सूचना नहीं है।

श्री भैरूँसिंह—क्या यह सही मानलें कि चोट आने से शादी नहीं हुई ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चोट लगने से उसकी शादी नहीं हो सकी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

Page No.4

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री कंवरलाल जैलिया—क्या यह माना जाय कि सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण न होने के कारण इस तरह की शादी समाज में नहीं हो सकती ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ऐसी बात नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—तो फिर क्या बात है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—पुलिस की इन्क्वायरी के अन्तर्गत मामला है। तथ्य का पता लगाया जा रहा है।

श्री जवानसिंह—माननीय मन्त्रीजी हाथ और सिर दोनों ही हिला रहे हैं। क्या माना जाय ?

श्री जसवन्तसिंह—माननीय उप मन्त्रीजी को यह मालूम नहीं है कि उसकी शादी हुई या नहीं हुई। यदि शादी नहीं हुई है, तो क्या सरकार अब भी उसकी शादी का बन्दोबस्त करेगी ?

श्री नरसिंह कछवाहा—शादी हुई या नहीं हुई, इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—तो क्या यह मान लिया जाय कि सरकार पूरी तरह से जाँच नहीं करवा रही है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जाँच की जा रही है।

श्री भैरूंसिंह—क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मारपीट करनेवाले व्यक्तियों की संख्या ५ से अधिक थी या कम ?

श्री नरसिंह कछवाहा—सिर्फ २ मीणों ने हमला किया था।

श्री भैरूंसिंह—क्या हमला करनेवालों के साथ में और आदमी भी थे ?

श्री नरसिंह कछवाहा—सिर्फ २ ही आदमियों द्वारा हमला किया गया था ?

श्री कंवरलाल जेलिया—आइन्दा इस तरह की घटना न हो, इसके लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसके लिये सावधानी रखना चाहिये दोनों ही तरफ से

(हंसी)

प्रश्न संख्या १०१७

भरतपुर में श्री कैलाशप्रसाद जैन की नियुक्ति तथा उनके अनुचित कार्य

राजा श्री मानसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) What were the circumstances of the appointment of Shri Kailash Prasad Jain of Bharatpur at the time of Matsya Government.

(b) Is the Government aware that he got his appointment by deceiving the concerned authorities ;

(c) Is he a dismissed Government Servant of the former Bharatpur State ?

(d) What posts has he held since his appointment by the Matsya Government ?

(e) How long did he hold his appointment as P. S. to the Dy. Finance Minister ?

(f) Is the Government aware that he used his position in the above appointment to blackmail various persons, whose cases were pending for decision of the Government ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(a) (b) (c) The information is being collected.

(d) (i) Superintendent, Rehabilitation, Alwar.

(ii) Area Rationing Offieer, Civil Supplies, Rajasthan.

(iii) Private Secretary to Dy. Minister, Finance.

(iv) Naib Tehsildar, Revenue Department.

(e) From 28-4-53 to 13-10-53.

[श्री चन्दनमल वैद]

(f) No complaints have been received.

राजा श्री मानसिह्—Where is he posted now ?

श्री चन्द्नमल वैद्—I think he is Naib Tehsildar at Kishangarh.

राजा श्री मानसिह्—I believe he has been sent on Special Duty to Jhunjhunu.

श्री चन्द्नमल वैद्—I have no information about that.

राजा श्री मानसिह्—After that he has been put on special duty as Election Officer at Amber.

श्री चन्द्नमल वैद्—He was posted as Naib Tehsildar at Kishangarh and the Collector may have sent him on some special duty but I have no information about it.

प्रश्न संख्या १०१८

जैसलमेर सब-डिविजन को एक पृथक जिला बनाना

श्री खेतसिह्—Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Is it a fact that Jaisalmer Sub-Division is going to be a separate District ?

(b) Is it a fact that the said Jaisalmer District will be composed of the former Jaisalmer State plus Sheo Tehsil and few villages from phalodi and Shergarh ?

(c) Is it a fact that the said District will have two sub-divisional head-quarters one at Jaisalmer and the other at Pokaran ?

(d) Is the Government aware of this fact that not a single soul from Shergarh and Phalodi Tehsils is prepared to be included into the so called new District Jaisalmer ?

(e) Would the Government be pleased to give reasons which has compelled them to form this new District ?

Page No.7

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री)—(क) हाँ, इस बारे में आज्ञायें जारी हो चुकी हैं।

(ख) नये जैसलमेर जिले में शेरगढ़ और फलोदी तहसीलों के कुछ गांव शामिल किये गये हैं, परन्तु शिव तहसील का कोई भी भाग शामिल नहीं किया गया है।

(ग) हाँ।

(घ) नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ङ) शासन सम्बन्धी कारणों से ऐसा किया गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—पहले जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को तोड़ कर सब डिवीजन बनाया गया और अब उसे तोड़ कर फिर से नया जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट बनाने की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री नरसिंह कछवाहा—वह तो उस वक्त की बात थी जो उस वक्त हो गई। अब शासन सम्बन्धी शासकीय कारणों से ऐसा उचित समझा गया, इसलिये ऐसा किया गया।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ऐसा क्या कारण था कि पहले जैसलमेर की डिस्ट्रिक्ट को तोड़ कर सब डिवीजन बनाया गया और अब फिर सब डिवीजन को तोड़ कर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—उस समय वैसी आवश्यकता समझी गई थी, अब वैसी आवश्यकता नहीं समझी गई।

(हंसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इन तब्दीलियों में गवर्नमेंट को कितना खर्चा पड़ा ?

श्री नरसिंह कछवाहा—आप सूचना दीजिये तो मैं उत्तर दूंगा। (हंसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—सूचना आप देंगे मैं नहीं दूंगा।

श्री नरसिंह कछवाहा—आप अलग से पूछें, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

Page No.8

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह तो रिलेवेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री भोलानाथ—सब डिवीजन और कलेक्टर को तोड़ने से खर्चा नहीं, बल्कि बचत हुई है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्री किस हैसियत से उप मन्त्रीजी की मदद कर रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—यह मामला केबिनेट में डिस्कस हुआ था इसलिये बता रहा हूँ ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि सामुहिक रूप से जिलों के नव-निर्माण का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

(विराम)

श्री खेतसिंह—शेरगढ़ और तहसील फलोदी के कितने गाँव इसमें मिलाये गये हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह सब गजट में शाया हो चुका है ।

श्री खेतसिंह—क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि सरकार की इस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस (प्रशासकीय सुविधा) के कारण पब्लिक को कितनी इन्कन्वीनियंस (असुविधा) हुई है ? जो गांव मिलाये गए हैं वे जैसलमेर से १२० मील और जोधपुर से केवल ६० मील दूर हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—पब्लिक को कोई इन्कन्वीनियंस नहीं होगी । (हंसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह किस आधार पर कहा जा रहा है कि उन गांव वालों को कोई इन्कन्वीनियंस नहीं होगी ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इन्कन्वीनियंस होगी, ऐसी हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है ।

(हंसी)

श्री खेतसिंह—क्या सरकार ने वहाँ की जनता की राय लेकर, या वहां के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पूछ कर ये गाँव मिलाए हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शासकीय दृष्टि से, शासकीय सुविधाओं को मद्दे नजर रखते हुए ऐसा किया गया है ।

Page No.9

श्री खेतसिंह—ऐसी कौनसी शासकीय इन्कन्वीनियेंस हुई कि एट रेंडम (at random) ये गांव मिला लिये ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जब यह तय हुआ था तो आप भी इसमें शामिल थे। जो डिस्कशन्स हुए उसमें शामिल थे; आपकी इच्छा से ही करीब-करीब हुआ था।

श्री खेतसिंह—यह कतई गलत है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या गवर्नमेंट के सामने यह भी सवाल है कि इसके लिए रेफरेन्डम लिया जावे ?

(घण्टी)

प्रश्न संख्या १०१६

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १०२०

राजस्थान में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये एक समिति की नियुक्ति

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री, उद्योग विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. राजस्थान में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए क्या कोई कमेटी राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई है ?

२. यदि हाँ, तो यह कमेटी कब बनी और उसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री, न्याय विभाग)—१. हाँ।

२. यह कमेटी विज्ञप्ति नं० २६-(१३६) सी. आई. ए. । ५० ता० ८ नवम्बर सन १९५० द्वारा बनी और इसके वर्तमान सदस्य निम्नलिखित हैं।

१. मन्त्री, उद्योग व व्यवसाय विभाग, राजस्थान। (चेयरमेन)

२. सचिव, उद्योग व व्यवसाय विभाग, राजस्थान।

[श्री चन्दनमल वैद]

३. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान।

४. सचिव, योजना विभाग, राजस्थान।

५. संचालक, उद्योग व व्यवसाय विभाग, राजस्थान।

६. चीफ इन्जिनियर, मेकेनिकल एन्ड इलेक्ट्रिकल विभाग, राजस्थान।

७. संचालक, खनिज एवं भूगर्भ विभाग, राजस्थान।

८. चीफ स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, राजस्थान।

९. उप सचिव, उद्योग व व्यवसाय विभाग, राजस्थान (सचिव)

१०. उपसंचालक, उद्योग व व्यवसाय विभाग, राजस्थान (संयुक्त सचिव)

नोन ऑफिशियल मेम्बर्स

१. २. राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के दो मेम्बर :

अ. डा० मंगलसिंह, बनारस विश्व विद्यालय, बनारस

ब. श्री मोतीचन्द खजान्ची, खजान्ची बिल्डिंग, के. ई. एम. रोड, बीकानेर।

३. ४. राजस्थान चेम्बर ऑफ कोमर्स एन्ड इन्डस्टरीज़ के दो प्रतिनिधि :

अ. श्री आर. डी. पेरीवाल, नेशनल बीयरिंग कम्पनी, जयपुर।

ब. श्री बी. सी. दुर्लभजी, जोहरी बाजार, जयपुर।

५. श्री एल. एम. बिड़ला ८, रायल एक्सचेंज पेलेस, कलकत्ता।

६. श्री रामनाथ पोद्दार, पोद्दार चेम्बर्स, फोर्ट, बम्बई।

७. कमलनयन बजाज़ ५१, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, बम्बई।

८. श्री रामजी भाई कमानी, कमानी हाउस, निकल रोड, बल्लार्ड एस्टेट, फोर्ट, बम्बई।

९. श्री सोहनमल गोलेच्छा, जोराष्टर कम्पनी, जयपुर।

१०. श्री गजाधर सोमानी, श्री निवास हाउस, विन्डबाई रोड, बम्बई।

११. श्री भागचन्द सोनी, अजमेर।

१२. श्री मदनगोपाल काबरा, कुचामन हाउस, जोधपुर।

[श्री चन्दनमल वैद]

१३. श्री सोभागमल लोढ़ा, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, लि०, भीलवाड़ा।

१४. श्री बुद्धसिंह बापना, कोटा।

१५. श्री मंगतूराम जयपुरिया, स्वदेशी भवन, कानपुर।

१६. डा० एम. वी. माथुर, हैड ऑफ दी एकोनोमिक्स डिपार्टमेंट, राजपूताना विश्वविद्यालय, जयपुर।

१७. श्री पी. जी. मेहता, मारफत मेसर्स जयपुर मेटल इन्डस्टरीज़ जयपुर।

१८. श्री वी. एन. कॉक मेनेजर, जयपुर स्पीनिंग एन्डविविंग मिल्स, जयपुर।

१९. राजस्थान इन्डस्ट्रीयल एन्ड माइनिंग एसोसियशन, भीलवाड़ा के एक प्रतिनिधि, रघुनाथसिंह मानसिंह का, भीलवाड़ा।

२०. श्री सोहनलाल कोठारी, मार्फत बैंक ऑफ जयपुर लि०, कुवस बिल्डिंग, हार्नबाई रोड, फोर्ट बम्बई।

२१. श्री पी. पी. ई सिंगल, मैनेजिंग एजेन्ट, मेवाड़ जनरल ऑइल मिल्स, लिमिटेड, उदयपुर।

२२. श्री सी. पी. गुप्ता, प्रोप० राज ट्रेडर्स, लि०, जयपुर।

२३. श्री आर. एन. जय, मैनेजर, सीमेंट फेक्टरी, लाखेरी।

२४. श्री डी. पी. पारीक, मैनेजर, मेवाड़ सूगर मिल्स, भोपालसागर।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस समिति ने गृह उद्योगों के बारे में कोई तजवीज, सलाह सरकार को नहीं दी है।

श्री चन्दनमल वैद—इसके लिए अलग समिति बनी हुई है।

श्री चांदमल मेहता—इस समिति ने कोई तजवीज अपनी ओर से सरकार के सामने रखी है?

श्री चन्दनमल वैद—इस समिति की अब तक कुल ४ मीटिंगें हुई हैं। लेटेस्ट मीटिंग में इन्डस्ट्रियल फाइनेनियल कॉर्पोरेशन बनाने के सलाह दी है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसके अलावा इस समिति ने और भी सलाह नहीं दी?

श्री चन्दनमल वैद—यह बहुत ही वाइड सवाल है। यह मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि ४ मीटिंगें हुई है उनमें भिन्न-भिन्न सुझाव दिए होंगे; अगर अलग से प्रश्न पूछा जाय तो मैं बता सकता हूँ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो सुझाव इस कमेटी ने दिये वे किस किस पर थे और उन पर क्या क्या अमल किया गया ?

श्री चन्दनमल वैद—सुझाव आये थे और सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री चाँदमल मेहता—पहले जो सुझाव भेजे थे उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की, क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्दनमल वैद—Should I read out all the Minutes of the Committee ? I have got the minutes of the meeting.

श्री अध्यक्ष—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कितनी मीटिंग में समिति द्वारा

(अश्रव्य)

श्री चन्दनमल वैद—मुझको ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस प्रकार का विचार कमेटी की पिछली मीटिंग में व्यक्त किया गया था ?

श्री चन्दनमल वैद—मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या प्रोसीडिंग्ज़ में इस प्रकार की कोई बात दर्ज हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद—डिटेल्ड सूचना इस वक्त नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उद्योग के विकास के सिलसिले में कमेटी में मजदूरों के प्रतिनिधियों को एसाइन (assign) करना सरकार ने ठीक क्यों नहीं समझा ?

श्री चन्दनमल वैद—ठीक नहीं समझा, तभी नहीं लिए होंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चाँदमल मेहता।

Page No.13

प्रश्न संख्या १०२१

राजस्थान के उद्योग-धन्धों पर लगाई गई रोयल्टी से
सन् ५३-५४ में आय

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के उद्योग-धन्धों पर लगाई गई रॉयल्टी से सन् ५३-५४ में कितनी आय सरकार को हुई ?

(२) ऐसे कितने कारखाने हैं जो राजस्थान बनने के बाद चालू किये गये जिनसे रॉयल्टी वसूल की जा रही है ?

(३) रॉयल्टी किस हिसाब से वसूल की जा रही है ?

श्री चन्दनमल बैद (उप मन्त्री)—(१) सन् १९५३-५४ के वर्ष में उद्योग धन्धों पर लगाई गई रोयल्टी से निम्नलिखित आमद सरकार को हुई—

	रु०	आ०	पा०
जयपुर डिवीजन	१,०३४	१४	०
जोधपुर डिवीजन	१,१०,०००	०	०
भरतपुर डिवीजन	६५,३८०	३	६
उदयपुर डिवीजन	१,६४,७५३	५	६
बीकानेर डिवीजन	कुछ नहीं ।		
	३,४१,१६८	७	३

(२) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर डिवीजनों में राजस्थान के बनने के बाद ऐसे कारखाने की स्वीकृति नहीं हुई जिनसे रोयल्टी वसूल हो। उदयपुर डिवीजन में राजस्थान बनने के बाद जिन कारखानों की स्वीकृति हुई और जिनसे रोयल्टी वसूल की जा रही है उनकी सूची साथ है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(३) प्रत्येक कारखाने के साथ पृथक् पृथक् शरायत होती हैं और शरायत के माफिक रॉयल्टी वसूली की कार्यवाही होती है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो लिस्ट दी गई है उसके अलावा जयपुर और जोधपुर में जो कारखाने खुले हैं उनसे रॉयल्टी वसूल नहीं की गई ?

Page No.14

श्री चन्दनमल वैद—जो सूची मेज पर रखी गई है वह मुकम्मिल है।

श्री चाँदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कारखाने जोधपुर और जयपुर में है जिनसे रोयल्टी वसूल नहीं की जाती है।

श्री चन्दनमल वैद—यह अलग प्रश्न है। आपने जो सूचना माँगी वह मैंने दे दी। आपने उनके नाम माँगे वे नाम मैंने दे दिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार जिनिंग फेक्ट्रीज़ के अलावा दूसरों से रोयल्टी वसूल करना नहीं चाहती ?

श्री चन्दनमल वैद—यह तो अलग प्रश्न है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सभी जिनिंग फेक्ट्रीज़ से एक ही तरह से रोयल्टी ली जाती है ?

श्री चन्दनमल वैद—इसके लिए अलग अलग रूल्स और शरायतें हैं, उनके मुताबिक ली जाती है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या रोयल्टी के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं कि फलाँ सीगे से इतनी रोयल्टी ली जानी चाहिये ?

श्री चन्दनमल वैद—ये सारी बातें अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या उदयपुर में अलग तरह (अश्रव्य)

श्री चन्दनमल वैद—अलग अलग जगह अलग अलग एग्रीमेंट हुए हैं। यही कारण है।

श्री चाँदमल मेहता—अलग अलग एग्रीमेंटों का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद—यदि सरकार को कोई फायदा होता हो तो आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार आगे एक से कानून बनाने के बारे में विचार करती है ?

श्री चन्दनमल वैद—जो सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमन्द और फायदे की बात होगी......

श्री चाँदमल मेहता—(अश्रव्य)

श्री चन्दनमल वैद—(अश्रव्य)

श्री चाँदमल मेहता—इस सदन में चीफ मिनिस्टर यह जवाब दे चुके हैं कि इसका एकीकरण किया जावे, क्या वह बात गलत समझी जावे ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने यह नहीं कहा कि वह गलत है। मैंने जो आपने पूछा उसका जवाब दिया। मैंने यह नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर ने गलत कहा है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरवाड़ में भी उन्होंने रोयल्टी दी है और रोयल्टी ज्यादा दी गई है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने कहा कि अलग अलग फेक्ट्रीज़ की अलग अलग शरह हैं जो एग्रीमेंट से तय हुई हैं।

श्री चाँदमल मेहता—मैंने जो लिस्ट माँगी उसमें सरवाड़ की लिस्ट नहीं दी, इसलिये निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १०२२

रूपनगर का किला किशनगढ़ महाराजा की निजी सम्पत्ति

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या रूपनगर का किला किशनगढ़ महाराजा की निजी प्रोपर्टी में है ?

(२) यदि हाँ, तो सरकार प्रति वर्ष उसका कितना किराया देती है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(१) हाँ।

(२) सरकार रूपनगर किले में स्थित तहसील कार्यालय एवं पुलिस कार्यालय के किराये के १८००) रु० प्रति वर्ष किशनगढ़ महाराजा को देती है। तहसील कार्यालय का किराया १२५) रु० प्रति माह दिया जाता है और पुलिस कार्यालय का किराया २५) रु० प्रति माह दिया जाता है।

Page No.16

श्रीचांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस किराये के अलावा इस बिल्डिंग की मरम्मत की जवाबदारी सरकार ने ले रखी है ?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी सूचना नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस वक्त इसकी मरम्मत कराने का तखमीना सरकार की ओर से बनाया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार इतना किराया देने के बजाय अपनी बिल्डिंग बनाने की योजना रखती है ?

श्री चन्दनमल वैद—अर्थ उपलब्ध होगा तो बिल्डिंग बनाई जावेगी।

श्री चाँदमल मेहता—जो किराया दिया जाता है, अगर सरकार अपनी निजी बिल्डिंग बनाए तो उसका व्याज भी इससे कम होगा ?

श्री चन्दनमल वैद—अर्थ (धन) का भी तो प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—The question is, what are the terms of letting out ? Whether the repairing of the building is the responsibility of the Government ? That is a natural supplementary.

श्री चन्दनमल वैद—I have no information about that.

श्री अध्यक्ष—Natural supplementary arises out of the main question. Whether the building which was let out to the Government is it the responsibility of the Government to make repairs ? That is a natural supplementary.

श्री चन्दनमल वैद—I am not certain about that.

कु० श्री जसवन्तसिंह—सर, सिर्फ किराया देने का ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—He has no information.

श्री चन्दनमल वैद—I am not certain about that. I think repairing is not our concern but I have no information.

श्री अध्यक्ष—As a matter of fact this ought to have been a specific question. Next.

प्रश्न संख्या १०२३

राजस्थान राजपत्र में सिविल असिस्टेन्ट सर्जन क्लास एक के एकीकरण की सूची का प्रकाशन

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान राजपत्र में सिविल असिस्टेन्ट सर्जन क्लास एक के एकीकरण की जो सूची प्रकाशित हुई है वह मुकम्मिल हुई है ?

(ख) कितने सी. ए. एस. क्लास २ के अनुभवी सर्जनों को जन-सेवा आयोग ने क्लास १ के लिए सिफारिश की थी और कब की थी ?

(ग) क्या जन-सेवा आयोग की उक्त सिफारिश को अमल में लाया गया ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) अगर यह प्रश्न विचाराधीन है तो कब तक निर्णय होने की आशा है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) राजस्थान जन सेवा आयोग ने ५६ सी. ए. एस. श्रेणी १ के अनुभवी डाक्टरों की सिफारिश की थी।

(ग) इनमें से ३२ को जो एम. बी. बी. एस. थे श्रेणी १ में ले लिया गया है। शेष के बारे में विचार किया जा रहा है। जन-सेवा आयोग ने जनवरी, १९५३ में सिफारिश की थी।

(घ) निश्चित समय नहीं कहा जा सकता किन्तु अब बहुत देर नहीं लगेगी।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या सरकार सी. ए. एस. क्लास दो के उन लोगों को सी. ए. एस. क्लास १ में लेने को तैयार है, जिनके लिए पब्लिक सर्विस कमिशन ने सिफारिश की है ?

श्री रामकरण जोशी—इसके बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—कब तक इस पर विचार पूरा हो जावेगा ?

Page No.18

श्री रामकरण जोशी—अभी मैंने (घ) के उत्तर में बताया है कि निश्चित समय तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु बहुत देर नहीं लगेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब पब्लिक सर्विस कमिशन ने सिफारिश कर दी है, तब फिर उनको लेने में क्या आपत्ति है?

श्री रामकरण जोशी—पब्लिक सर्विस कमिशन की राय जानकर ही इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि विशेष डॉक्टरों के लिए यह देरी हो रही है?

श्री रामकरण जोशी—मुझे तो मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं, यह खबर कहाँ से लगी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रकार की लिस्ट इसी कारण दुसरी और तीसरी बार तैयार करने की नौबत आई है?

श्री रामकरण जोशी—पहली लिस्ट निकल चुकी है और दूसरी बनी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि किसी डॉक्टर की इन्तजार के लिए यह निर्णय नहीं लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०२४

राजनीतिक पीड़ितों की सहायतार्थ सरकार द्वारा विधेयक लाने की माँग

श्री चान्दमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ कोई बिल सरकार के विचाराधीन है?

(२) यदि हाँ, तो वह बिल कब तक एसेम्बली के सामने आ जावेगा?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(१) नहीं।

[श्री चाँदमल मेहता]

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह का बिल सरकार आवश्यक नहीं मानती हैं ?

श्री चन्नमल वैद—आवश्यकता का सवाल नहीं है। आपने पूछा विचाराधीन हैं या नहीं और उसका उत्तर मैंने दे दिया।

श्री चाँदमल मेहता—ऐसा बिल आवश्यक है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—It is not the question. Any other supplementary ?

श्री चाँदमल मेहता—इसके बारे में कोई कम्पेन्सेशन देने का निर्णय किया है ?

श्री चन्दनमल वैद—मुझे यह जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०२५

किशनगढ़ में सीमेंट की बिक्री पर २ आना प्रति हन्डरवेट रॉयल्टी खनिज विभाग द्वारा वसूल की जाना

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में सीमेंट की बिक्री पर २ आना प्रति हेन्डरवेट रायल्टी माइन्स विभाग द्वारा वसूल की जा रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो यह रायल्टी किस कानून के अन्तर्गत वसूल की जा रही है ?

(ग) राजस्थान में और कौन कौन स्थानों पर इस प्रकार को रायल्टी वसूल की जा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) जी हाँ।

(ख) यह रायल्टी पूर्व किशनगढ़ स्टेट के नियमानुसार वसूल की जाती है।

[श्री चन्दनमल बैद]

(ग) राजस्थान में दूसरे स्थानों पर इस प्रकार की रायल्टी वसूल नहीं होती है ।

श्री चाँदमल मेहता—इस प्रकार की रॉयल्टी किशनगढ़ में चालू रखने का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल बैद—यह रॉयल्टी मिनरल रूल्स के अनुसार वसूल की जाती है और माइनर मिनरल रूल्स बन रहे हैं। उसके बाद विचार किया जायगा कि इसको जारी रखा जाय या नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—कब तक तय कर देगी ?

श्री चन्दनमल बैद—जल्दी हो जायगा, घबराइये नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह किशनगढ़ के साथ ही डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जब कि दूसरी जगह रोयल्टी वसूल नहीं की जा रही है ?

श्री चन्दनमल बैद—किशनगढ़ के साथ डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार हो रहा है, चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल।

(हँसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह डिस्क्रिमिनेशन उप-चुनाव के बाद से हो रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद—उप चुनाव के पहले से।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार उप चुनाव के बाद इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना भूल गई ?

श्री चन्दनमल बैद—इस पर विचार हो रहा है और सरकार जल्दी ही तय करेगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्सट, श्री चान्दमल मेहता।

प्रश्न संख्या १०२६

सोना और चाँदी के आभूषणों में अन्य धातुओं की मिलावट करके सर्राफों द्वारा ग्रामीण जनता को लूटना

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.21

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) क्या यह सही है कि सोना और चाँदी के जेवरों में अन्य धातुओं की मिलावट कर सर्राफ लोग ग्रामीण जनता को धोखा देकर लूट रहे हैं ?

(ख) क्या इस प्रकार की मिलावट को रोकने के लिए कोई कानून बना हुआ है ?

(ग) यदि हां, तो ५३-५४ के वर्ष में इस प्रकार मिलावट करने के कितने मुकद्दमें चालान हुये और कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री) (क) आमतौर से ऐसा कहना सच नहीं है। यह कुछ मामलों में सच हो सकता है।

(ख) इसके लिए कोई खास कानून लागू नहीं है। ऐसे मामलों की कार्यवाही धारा ४२० आई० पी० सी० के० अन्तर्गत की जाती है।

(ग) भीलवाड़ा जिले के अलावा, कहीं भी सोना और चाँदी के जेवरों में अन्य धातुओं की मिलावट का मामला दर्ज नहीं हुआ। भीलवाड़ा जिले में एक सुनार को, जिसने तांबे के एक कड़े को सोने का पानी चढ़ा कर सोने का कड़ा कह कर बेचा था, गिरफ्तार और चालान किया गया, जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि इस सम्बन्ध में कुछ कानून भूतपूर्व रियासतों के बने हुए थे और मौजूदा समय में अमल में नहीं आ रहे हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरी जानकारी में नहीं है।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय उप मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि राजस्थान बनने के बाद किशनगढ़ सब डिविजन में इस तरह की मिलावट करने के बारे में छूट हो गई है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जाँच करने के लिए इन्स्पेक्टर्स हैं, जैसे कि पहले थे ?

श्री नरसिंह कछवाहा—अगर ऐसी सूचना मिलेगी तो।

Page No.22

श्री अध्यक्ष—पहले जैसे इन्स्पेक्टर्स हैं क्या जांच करने के लिए ?

(विराम)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहूँगा कि उप मन्त्री महोदय को किस बात की जानकारी है ?

(घंटी तथा हंसी)

श्री अध्यक्ष—It is a penal offence, next.

प्रश्न संख्या १०२७

पिछले कई महीनों से कालन्द्री डिस्पेन्सरी (जिला सिरोही) में डॉक्टर की आवश्यकता

(श्री मोहब्बतसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह द्वारा प्रश्न संख्या १०२७ से १०३० प्रस्तुत किये जाना)

श्री मोहब्बत सिंह—Will the Minister for Medical & public Health be pleased to state:—

Is it a fact that in the Kalandri dispensary, in Sirohi District there has been no Doctor for the last many months? If so, why?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से) :—

जी हां। केवल तीन महीने के लिए डॉक्टर ने ६० दिन की छुट्टी ली थी। डॉक्टर का अभाव था, फिर भी एक नये डॉक्टर की नियुक्ति २. ४. ५४ को की गई, किन्तु उसने ड्यूटी जोइन नहीं की। तत्पश्चात् एक दूसरे डाक्टर की नियुक्ति १२. ५. ५४ को की गई किन्तु इस नये डाक्टर के ड्यूटी जोइन करने के पूर्व ही छुट्टी पर गये हुए डॉक्टर आर. आर. पुरोहित ने १८. ५. ५४ को अपनी ड्यूटी जोइन कर ली।

श्री जवानसिंह—क्या किसी डॉक्टर के छुट्टी जाने से पहले रिलीविंग हेन्ड का इन्तजाम नहीं किया जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—इन्तजाम करने के लिए नई नियुक्ति कर दी गई थी, डॉक्टर वहां नहीं पहुँच सका।

श्री जवानसिंह—मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि क्या किसी डाक्टर के छुट्टी जाने से पूर्व दूसरा डॉक्टर नहीं भेजा जाता ?

Page No.23

श्री रामकरण जोशी—यह संभव नहीं हो सकता कि छुट्टी पर नहीं जाय, इसलिए कि दूसरा चार्ज लेने वाला डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को छुट्टी पर जाना था, इसलिए वह गया। इसके लिए नई नियुक्ति की गई और वह जोइन नहीं कर सका और तीन महीने तक ऐसा ही रहा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तीन महीने का समय क्या कम होता है जिसके लिए मरीजों को इलाज के लिए महरूम रहना पड़ा ?

श्री रामकरण जोशी—आप और हम सब जानते हैं, हमारे सूबे में डॉक्टरों का अभाव है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डॉक्टर क्यों न जा सका, इसका क्या कारण था ?

श्री रामकरण जोशी—जगह पसन्द नहीं आई होगी, कल्पना की जा सकती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं यह जानना चाहूँगा कि यह बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर किसी अधिकारी को यह छूट है और खास तौर पर डॉक्टर को कि वह जहाँ सुविधा हो और मरजी हो वहाँ जाय और न जाय, तो फिर क्या सरकार अपनी जेबों में हाथ डालकर बैठी रहती है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं आपको बता चुका हूँ कि वे तो नई नियुक्ति के डॉक्टर थे। सरकार उनको मजबूर नहीं कर सकती थी कि वे वहाँ क्यों न गये और वहाँ जाँय।

श्री ज्ञानसिंह—जब वे नहीं गये तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकरण जोशी—नई नियुक्ति के डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो फिर रिलीविंग डॉक्टर में से किसी को क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री रामकरण जोशी—अपने यहाँ सरप्लस डाक्टर्स नहीं हैं और इसीलिए नई नियुक्ति करके डाक्टर वहाँ भेजा गया था, किन्तु वह जोइन नहीं कर सका।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सरप्लस डॉक्टर्स नहीं रखने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ डाक्टर अभाव है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेडीकल रिज़र्व एस्टेब्लिशमेंट में जो डॉक्टर्स हैं, वे फिर किस लिए हैं। क्या वे रिलीव करने के लिए नहीं जा सकते थे?

श्री रामकरण जोशी—वे आदमी जिस काम के लिये मुकर्रर हैं उस काम को करते हैं। वे बाहर नहीं भेजे जा सके।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेडिकल रिज़र्व एस्टेब्लिशमेंट में फिर कौनसा स्टाफ है, जो रिलीविंग ड्यूटीज़ में भेजा जा सकता है?

श्री रामकरण जोशी—यह स्टाफ दूर भेजने के लिए नहीं है, खास काम के लिए है यह।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कुछ रिज़र्व एरियाज़ के लिए उनको रिज़र्व किया गया है।

श्री रामकरण जोशी—वे खास कार्य के लिए है।

श्री जवानसिंह—जिस डाक्टर की नियुक्ति की गई थी क्या वे सरकारी नौकर थे?

श्री रामकरण जोशी—नहीं।

श्री जवानसिंह—क्या वे डॉक्टर एम. बी. बी. एस. की परीक्षा पास करने के लिए गये थे?

श्री रामकरण जोशी—जी हाँ।

श्री जवानसिंह—क्या उनको परीक्षा में जाने के लिए छुट्टी दी जा सकती थी और रिलीविंग वहाँ भेजना आवश्यक नहीं था?

श्री रामकरण जोशी—डाक्टर को पर्मिशन देना वाजिब था और उनकी छुट्टी ड्यू थी, इसलिए उनको छुट्टी दी गई। अगर किसी को किसी काम से जाना हो तो जा सकता है।

('अस्पताल खाली करके' विरोधी पक्ष की ओर से आवाज)

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.25

प्रश्न संख्या १०२८

सिरोही में अधिक स्थान तथा सुविधाएँ अधिक होने के कारण कारावास का प्रबन्ध

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state:—

Why the Sirohi Jail is not now maintained as a Jail inspite of enough accommodation and facilities there ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री)—मितव्ययता की योजना के अन्तर्गत समस्त कारागारों की स्थिति की जाँच उनके कारागारों के रूप में कार्य करते रहने के औचित्य को देखने के लिए की गई थी। सिरोही के कारागार में, जो एक 'ग' श्रेणी का कारागार था, निरुद्ध बंदियों की संख्या की जांच करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि सिरोही के कारागार को एक हवालात में बदल दिया जाय और......

श्री जवानसिंह--Not audible, Sir.

श्री नरसिंह कछवाहा—और मितव्ययिता समिति की सिफारिश पर सरकारी आज्ञा जारी कर दी गई; देखिये गृह विभाग १ संख्या एफ १६ [५०] गृह २.०-५२, दिनांक २० जुलाई, १९५३ के सिरोही का जिला कारागार समाप्त करके उसके स्थान पर......

श्री जवानसिंह—It is still not audible, Sir.

श्री अध्यक्ष—Have patience.

श्री नरसिंह कछवाहा—एक प्रथम श्रेणी की हवालात बना दी जाय।

एक 'ग' श्रेणी का कारागार, जो ऐसे बंदियों के लिये है जिनकी सजा एक साल से कम है, में १०० से २०० बंदियों के लिये स्थान होना चाहिए जब कि सिरोही के कारागार की औसत बंदी संख्या मार्च १९५४ में बंदी और अभियोगाधीन बंदी दोनों को सम्मिलित करते हुये लगभग ४६ थी, जिससे इसका कारागार के रूप कार्य में करते रहना न्यायोचित नहीं है और इसलिये इसे एक प्रथम श्रेणी की हवालात में बदल दिया गया है। इस जिले में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का केवल एक न्यायालय है।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि ज्युडिशियल और क्रिमिनल पर्पजेज़ के लिये सिरोही के एडीश्नल जज के ज्युरिसडिक्शन को बढ़ा दिया गया है और क्रिमिनल्स की संख्या ज्यादा बढ़ गई है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ज्यादा बढ़ जायगी तो विचार कर लिया जायगा। ४६ ही बंदियों की संख्या आती है।

श्री जवानसिंह—आपने अक्टूबर ५३ के बारे में बताया था कि ४६ की संख्या थी। मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या एडीशनल जज का ज्युरिसडिक्शन बढ़ा दिया गया है और क्रिमिनल्स क संख्या बढ़ गई है?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैंने आपको बताया कि संख्या बढ़ गई तो कर दिया जावेगा। अभी संख्या बढ़ी नहीं है।

श्री जवानसिंह—आपने बताया, उसके बाद संख्या बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि क्रिमिनल्स को जोधपुर भेज दिया जाता है। मेरे पूछने का मतलब यह है कि सिरोही एडीशनल जज की कोर्ट में कितने क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ी है?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह अलग सवाला है।

श्री जवानसिंह—तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स की संख्या नहीं बढ़ी?

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरे पास फिगर्स हैं। मार्च १६५४ तक की संख्या ४६ है।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्रिमिनल्स की संख्या कितनी थी?

श्री अध्यक्ष—Criminals-it—is a vag ıe question: Then you will have to define 'criminals'.

श्री जवानसिंह—मैं under-trial prisoners की संख्या पूछता हूँ।

श्री नरसिंह कछवाहा—under-trial प्रिजनर्स और क्रिमिनल्स दोनों की सम्मिलित संख्या ४६ है।

श्री भैरोंसिंह—क्या क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई योजना बना रखी है?

श्री अध्यक्ष—Order! Order!!

प्रश्न संख्या १०२६

आबू व आबूरोड एरिया में गुजराती राजकीय भाषा निर्धारित

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minister be pl ased to state—

[श्री मोहब्बतसिंह]

Is the Government aware that Gujarati has been introduced as official language in the Abu and Abu road areas ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—We have no official information.

श्री जवानसिंह—क्या आप इस बारे में सूचना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—What is the source of gathering information ?

श्री चन्दनमल वैद—सूचना प्राप्त की जाय, ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Any unofficial information ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir, the question of information is definite.

श्री अध्यक्ष—No, the question might be definite but the question does not relate to the areas under the State.

The question is—"Is the Government aware that Gujrati has been introduced as official language in Abu and Abu road areas ?" They are not in Rajasthan. Government is not in a position to give information.

श्री जवानसिंह—क्या राजस्थान सरकार आबू और आबू रोड एरिया में इन्टरेस्टेड नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—No, No. That is not the question.

श्री चन्दनमल वैद—आपको आगे वाले सवाल के जवाब में इसका उत्तर मिल जायगा कि राजस्थान सरकार इस बारे में कितनी रुचि लेती है।

प्रश्न संख्या १०३०

आबू एवं आबू रोड एरिया को राजस्थान में मिलाने सम्बन्धी

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state...

Has the Government of Rajasthan submitted a memorandum to the States Re-organisation Commission for the restoration of Abu and Abu road areas to the State of Rajasthan ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—Yes Sir, and I can assure the House that the feelings of this House on this question have been conveyed to the Commission.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Government place a copy of the Memorandum on the table of the House ?

श्री चन्दनमल वैद—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the reason for being so secret on a question which is of urgent and immediate public importance.

श्री चन्दनमल वैद—कमीशन जब सारी चीजों को पब्लिश करेगा तब आप देख सकेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता को विश्वास प्राप्त करने के लिये क्या उसको पब्लिश कराना उपयुक्त नहीं समझती ?

श्री चन्दनमल वैद—राजस्थान की जनता की विश्वासपात्र सरकार ने ही मेमोरेन्डम पेश किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर आप उसको सदन की मेज पर रखने से क्यों इन्कार कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद—समय आने पर रख दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या सरकार इस विषय में जनता का सहयोग लेना नहीं चाहती ?

श्री चन्दनमल वैद—जब जरूरत पड़ेगी तब लिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह समझती है कि इस बारे में पब्लिक को अपनी राय एनलाइटन (enlighten) करने न दिया जाय ?

श्री चन्दनमल वैद—मौका आने पर वह मेमोरेन्डम जनता के सामने आ जायगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिस सरकार को जिस जनता ने बनाया है, वह जनता इस मेमोरेन्डम को देखना चाहती है ?

श्री चन्दनमल वैद—मौका आने पर दिखा दिया जायगा।

श्री जवानसिंह – वह मौका कौन-सा आयगा ?

श्री चन्दनमल वैद—जब कमीशन पब्लिश करेगा तब।

श्री जवानसिंह—जब आबू हाथ से निकल जायगा तब मौका आयगा ?

श्री चन्दनमल वैद—आबू तो हाथ से निकला हुआ है, किन्तु उसको वापिस लाने की कोशिश की जा रही है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या राजस्थान सरकार आम लोगों को इस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना नहीं चाहती ?

श्री चन्दनमल वैद—राजस्थान सरकार ने वही राय लिखी है जो कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रगट की गई थी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान सरकार ने सारे राज्य के रिऑर्गेनाइज़ेशन के लिये जो मेमोरेन्डम, स्टेट्स रिऑर्गेनाईज़ेशन कमीशन के पास भेजा है, क्या वह इसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—That is out of scope of this question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am coming to the Memorandum submitted to the States Re-organisation Commission.

श्री अध्यक्ष—It cannot be asked on the scope of this question.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार अपने आपको विधान सभा से बड़ा समझती है, जो कि विधान सभा के सदस्यों को विश्वास में लेना नहीं चाहती ?

श्री चन्दनमल वैद—विधान सभा ने जो आदेश दिये थे उसी के अनुसार आबू के सम्बन्ध में मेमोरेन्डम पेश किया गया है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—तो फिर उस मेमोरेन्डम को विधान सभा के सामने रखने में क्या हिचकिचाहट है ?

श्री चन्दनमल वैद—वक्त आने पर पब्लिश कर दिया जायगा।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—जब गवर्नमेंट का वक्त चला जायगा तब क्या पेश किया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद--इतनी आशा नहीं रखनी चाहिये।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

श्री नारायण चतुर्वेदी--क्या मन्त्री वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जयपुर जिले के अन्तर्गत कूकस के बीड़ के जंगल काटने का सरकार ने आदेश दे दिया है ?

(ख) जंगल काटने वाले को ठेका दिया गया है, वह टेन्डर लेकर दिया है या नीलाम के आधार पर ?

(ग) सरकार को कितनी रकम वार्षिक इस जंगल की कटाई के बदले में मिलेगी ?

(घ) इस जंगल में जो ठेकेदार को दिया गया है कितने (तादाद में) पेड़ हैं और कितना क्षेत्रफल है ?

(ङ) क्या इसको ठेके के देने के पहिले उचित विज्ञापन किया गया था ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)--

(क) जी हाँ।

(ख) ठेका सरकार से नहीं दिया गया बल्कि जागीरदार ने अपने जंगल का स्वयं ही ठेका दिया है इसलिए टेन्डर लेने अथवा नीलाम का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) रुपया चार हजार १३३ ६ आ० ४ पा० प्रति वर्ष। तीन साल में १२५००) रुपया मिलेगा।

(घ) पेड़ों की तादाद इस समय मालूम नहीं। सारे क्षेत्र का मार्किंग हो जाने पर पेड़ों की गिनती कराई जा सकेगी। वन का क्षेत्र लगभग २५०० एकड़ के हैं।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

Page No.31

श्री चाँदमल मेहता—वह जागीरदार कौन है ठेका देने वाला ?

श्री अमृतलाल यादव—वहीं का जागीरदार है।

श्री चाँदमल मेहता—उस जागीरदार का क्या नाम है ?

श्री अमृतलाल यादव—कूकस का जागीरदार होगा।

श्री चाँदमल मेहता—जो एरिया है, उनमें कुछ खालसा का हिस्सा है ?

श्री अमृतलाल यादव—खालसा का नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या जागीरदार ने सरकार से नियमानुकूल आज्ञा ले ली थी ?

श्री अमृतलाल यादव—आवश्यकता नहीं थी।

श्री चांदमल मेहता—इजाजत देने के पहले क्या सरकार ने इस बात की खातरदारी नहीं ली कि ठेका देने के लिए क्या प्रोसीजर अख्त्यार किया जाय ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार जब किसी को लाइसेन्स देती है, सब बातों पर विचार करने के बाद देती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस प्रकार के हरे दरख्त हर साल काटे जाते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—तो फिर इस प्रकार से हरे पेड़ काटने की सरकार ने क्यों इजाजत दी ?

श्री अमृतलाल यादव—जो फोरेस्ट एक्स्प्लोइटेशन होता है उसमें हरे पेड़ भी काटे जाते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—ऐसा किस नियम के अन्तर्गत है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह एक प्रकार का टेक्नीक है जो फोरेस्ट विभाग से दरियाफ्त किया जा सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—यह किस नियम के अन्तर्गत काटने की आज्ञा दी है, उस नियम को बता सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव— नियम कोई एक नहीं जो मैं बता सकूं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार के पास इस ठेके के लिये आवेदन-पत्र आया था ?

श्री अमृतलाल यादव—ठेके के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र आया करते हैं।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति ने सरकार को १ लाख और कुछ हजार रुपये ठेके का आवेदन-पत्र दिया था ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार ने ठेका नहीं दिया। यह तो जागीरदार का जंगल था।

श्री चाँदमल मेहता—जागीरी पुनर्ग्रहण की वजह से जागीरदार लोग इस तरह के पेड़ काटने के लिए इजाजत देते हैं, क्या यह सरकार के ध्यान में है ?

श्री अमृतलाल यादव—जागीरदारों को जो कानूनी हक हैं उन्हीं का वे उपयोग कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो इस प्रकार हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या सरकार उसको रोकना मुनासिब नहीं समझती ?

श्री अमृतलाल यादव—प्रश्न नहीं उठता, यह तो राय का सवाल है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जागीरदार को ठेका देने में क्या ज्यादा इन्टरेस्टेड थी सरकार ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने माननीय सदस्य का सवाल सुना नहीं। क्या मतलब है उनका ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या यह माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि यह पूरा जंगल कुकस ठिकाने का नहीं है, इसमें सरकार का भी हिस्सा है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपना सालाना टैक्स वसूल करती है, इतना ही हिस्सा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने के लिए तैयार है कि वास्तव में जो ठेका दिया गया है, उसमें सरकार का भी हिस्सा है ?

श्री अमृतलाल यादव—जांच करने की जरूरत नहीं। जांच करने के बाद ही यह ठेका दिया गया है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—इस ठेके की मन्जूरी कब दी गई ?

श्री अमृतलाल यादव—वह तारीख तो मेरे पास नहीं है। अगर सदस्य जानना चाहेंगे तो (वह तारीख) बाद में बता दी जावेगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या सरकार को यह मालूम है कि जितने में ठेका दिया गया उतने से कई गुना ज्यादा रकम दूसरे लोग देने को तैयार हैं ?

क्या इसकी तहकीकात करने को सरकार तैयार है ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार को इससे क्या मतलब ? सरकार का यह जंगल नहीं। जिसका यह है वह चाहे तो इसे पचास हजार में बेचे या एक पाई में बेचे या एक रुपये में बेचे।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस ठेके की रकम में से कुछ मिलता है ?

श्री अमृतलाल यादव—मिलता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—फिर सरकार को यह आवश्यकता क्यों नहीं हुई कि वह यह देखे कि इस ठेके में फायदा है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—इस हिसाब से ही जांच करके सरकार ने ठेका दिया है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—फिर अपना हिस्सा किस तरह से सरकार ने वाच (watch) किया ?

श्री अमृतलाल यादव—साफ सुनाई नहीं दिया। आपने क्या पूछा ?

श्री अध्यक्ष—सरकार ने अपने हक की हिफाजत किस तरह से की ?

श्री अमृतलाल यादव—जागीरदार ने जब इसका ठेका दिया तो उस ठेके की मन्जूरी जागीरदार के यहां से नहीं हुई, सरकार के यहां से होती है और इस स्टेज पर इसकी सारी बातें एग्ज़ामिन कर ली जाती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब सरकार ने एग्ज़ामिन किया तो ज्यादा से ज्यादा इस ठेके में कितनी रकम प्राप्त हो सकती थी, उतनी हुई या नहीं इसकी जांच की ?

श्री अमृतलाल यादव—जी, इसकी जानकारी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी पांच या तीन मिनिट पहले आपने बताया कि सरकार को इसमें क्या लेना-देना? जिसका यह है, वह एक रुपये में बेचे या पचास हजार में बेचे, सरकार को इससे क्या मतलब; तो यह कैसे?

श्री अमृतलाल यादव—यह एक जनरल सवाल था। सरकार ने नीलाम किया नहीं इसलिए कि जागीरदार का जंगल होता है तो ठेका वही दे सकता है और उसमें जितना सरकार का इन्टरेस्ट होता है, सरकार उस हद तक उसको एग्ज़ामिन कर लेती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो इससे क्या यह समझा जावे कि चन्द मिनटों पहले माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह इनएग्जेक्ट (inexact) था।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जो रकम इस ठेके से जागीरदार ने उठाई उसका चौथा हिस्सा सरकार में जमा हुआ या नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—इसकी मेरे पास इन्फोर्मेशन नहीं है आज।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वह कैसे नहीं है साहब?

श्री अमृतलाल यादव—पर मेरा ऐसा अनुमान है कि यह हिस्सा या तो जमा हो गया होगा, नहीं तो अदा हो जावेगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि गत वर्षों में इसकी आमदनी पचास हजार सालाना से ज्यादा औसत की रही है?

श्री अमृतलाल यादव—मुझे इस वक्त यह मालूम नहीं है। आपने सूचना दी, इसके लिए धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—इसमें धन्यवाद से काम नहीं होगा इसके बारे में इन्क्वायरी करेंगे आप?

श्री अमृतलाल यादव—हां, जानकारी और इन्क्वायरी एक ही बात है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—ठेका देने से पहले इन्क्वायरी की गई थी इस सम्बन्ध में?

श्री अमृतलाल यादव—क्या कहा आपने?

श्री अध्यक्ष—ठेका देने से पहले इन्क्वायरी की गई थी कि इसकी पहले कितनी आमदनी थी?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने पहले सवाल का जवाब दिया था कि एग्ज़ामिन कर लिया जाता है। बहुत सी बातें होती हैं एग्ज़ामिन करने की।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—उन सब बातों में यह बात भी एक थी क्या कि पिछले दस सालों में इसकी औसतन सालाना आमदनी कितनी रही?

श्री अमृतलाल यादव—दस, पांच, सात सालों का सवाल नहीं। जिस तरह से एग्ज़ामिन होता है उस तरह से सभी बातें एग्ज़ामिन होती हैं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—उन सब बातों में यह बात भी थी क्या कि पिछले दस सालों में इसकी औसतन सालाना आमदनी क्या रही? सीधा जवाब दीजिये न।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि जिस तरह से उस वक्त एग्ज़ामिन किया जाता है, उसी तरह से किया जाता है। इसके लिए एस० डी० एफ० ओ० और डी० एफ० ओ० वगैरह होते हैं और वे सब बातों के बारे में एग्ज़ामिन करते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर विचार करते हुए कितने वर्षों की एवरेज आमदनी सरकार ने ध्यान में रक्खी?

श्री अमृतलाल यादव—पिछले वर्षों का तखमीना लिया गया है, पर यह प्रश्न इसके सम्बन्ध में नहीं है इसलिए इस समय पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या यह सही है कि जागीरदार ने एक लाख रुपया निजी तौर से इसमें अलग से वसूल किया और ठेका कम का दिया? क्या सरकार इसकी जांच करने को तैयार है?

श्री अमृतलाल यादव—हां।

श्री मुक्तिलाल मोदी—पहले इसकी आमदनी में जो पैसा आया वह कितना आया और ठेके में जो आया वह कितना है? ठेके में उससे ज्यादा आया या कम?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि इसमें कोई गोलमाल हुआ है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या इसकी जांच के अन्तिम निर्णय होने तक इस जंगल को काटने की मनाई सरकार कर सकती है?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसा कायदे से नहीं हो सकता।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या जागीरदार द्वारा ठेका देने पर सरकार कानूनन कोई दखल नहीं कर सकती ?

श्री त्रिवेणीश्याम (दौसा)—अगर इसको अभी नहीं रोका जावेगा तो नतीजा निकलने पर क्या कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष—Regret will be expressed on the floor of the House.

(करतल-ध्वनि)

श्री खेतसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह ठेका देते वक्त कोई खास गड़बड़ी नहीं हुई ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—सरकार की तरफ से ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Government issue a stay order pending an enquiry ?

श्री अमृतलाल यादव—There is no need for that.

श्री नारायण चतुर्वेदी—इस ठेके के देने से कितने क्षेत्रफल पर इसका असर पड़ेगा और इसके कितने दरख्त हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने इस बारे में जो जवाब दिया है उसमें क्षेत्रफल है ।

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member wants, I can allow him (Hon'ble Minister) to give a statement at some other time.

श्री नारायण चतुर्वेदी—Half an hour discussion over this.

श्री अध्यक्ष—Yes.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

श्री विजयसिंह	(वि० सं० १५८)	१ जून, ५४ से ८ जून, ५४ तक
श्री अर्जुनसिंह	(वि० सं० ४)	३ जून, ५४ से ८ जून, ५४ तक
श्री भैरोंसिंह	(वि० सं० १२)	७ जून, ५४ से ८ जून, ५४ तक

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदस्यों को विशेष स्थानों पर बैठने का निर्देश

अब मैं एक आवश्यक सूचना या निर्देश सदन को और दे दूँ कि मुझे कुछ असुविधा होती है माननीय सदस्यों के कभी कहीं बैठने में और कभी कहा बैठने में इसलिए यह जो पहली लेफ्ट की तरफ २८ का ब्लॉक है इस पर संयुक्त दल के सदस्य बैठेंगे; फर्स्ट सीट पर डिप्टी स्पीकर और बाकी पर संयुक्त दल के सदस्य और नेक्स्ट ब्लॉक पर इन्डिपेन्डेन्ट, जनसंघ, रामराज्य परिषद, कृषिकार परिषद्, प्रजा-समाजवादी, किसान सभा, कॉम्युनिस्ट सदस्य बैठेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आज से ही लागू होगा क्या ?

श्री अध्यक्ष—Immediately.

श्री भोपालसिंह—और डिप्टी स्पीकर साहब ने कॉंग्रेस ज्वाइन कर ली है तब......

श्री अध्यक्ष—The Deputy Speaker has a right to sit on the first bench on the left.

श्री जसवन्तसिंह का अल्प-काल-सूचना प्रश्न

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What has, Sir, happened to my Short Notice Question of day before yesterday ?

श्री अध्यक्ष—I have just ordered. It came to me only today. Prior to you, Shri Gulab Chand Kasliwal had also tabled a S. N. Q. on the same subject. I have just ordered that it will come tomorrow.

राजस्थान भूमि-सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५४
(विचार-विमर्श-क्रम में)

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष—आप बोल चुके थे परसों।

श्री भैरोंसिंह—मैं बोल चुका था पर बहुत सी बातें कहने से रह गई थीं।

Page No.38

श्री अध्यक्ष—No. The utmost time allotted has been given to you, i. e. half an hour. If the Hon'ble Member is so keen, I can give him 5 minutes more.

श्री भैरोंसिंह— थोड़ा समय और दे दिया जावे। मैं........

श्री अध्यक्ष--Not more than 5 minutes. You have already taken 5 minutes.

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल (परसों) जिस वक्त मैंने सदन में यह विचार रक्खा था कि जागीरदारी बिना मुआवजे के समाप्त की जावे उस वक्त मेरी इच्छा यह थी कि सदन में साथ-साथ मैं उन जागीरदारों के लिए, जो इस जागीरी के खत्म होने के साथ-साथ खत्म होंगे उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। इस बारे में भी मैं सदन को यह निवेदन करने वाला था। माननीय अध्यक्ष, आज राजस्थान के जागीरदारों की इस प्रकार की परिस्थिति है कि जिनकी आमदनी ज्यादा है वे जागीरदार आज के इस युग के कैपिटलिस्टों की श्रेणी में गिने जाने योग्य हैं पर जिनकी आमदनी कम है, जिनकी आमदनी के सोर्स थोड़े हैं या आजकल की राजनैतिक उथल-पुथल के कारण जिनकी आमदनी कम हो गई है, उनकी स्थिति वास्तव में दयनीय है। तो कम्पेन्सेशन देने के साथ-साथ इस बात की मन्शा यह नहीं हो सकती कि इनको किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाय, इस जिम्मेदारी से सरकार दूर हो जाय।

रिहेबिलिटेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो यह तरीका कि किसी तरह से कैश पेमेन्ट किया जावे और दूसरा यह तरीका होता है कि राजस्थान में जैसा प्रचलित है एक खास तरीके का पेशा समझा जाता है और वह है कृषि का। इनके लिए जितने भी कृषि के साधन जुटा सकें उतने जुटाने के लिए सरकार को प्रयत्नशील होना चाहिये, खास तौर से उनके लिए जिनकी कि आमदनी ५ हजार से कम है या वे जागीरें जो इस कानून के लागू होने के बाद खत्म हो जाने से जिन जागीरदारों के पास आजीविका के साधन खत्म हो जाते हैं।

माननीय सुखाड़ियाजी ने काफी दलीलें खुदकाश्त को लेकर दी थीं। जिनके पास जमीन नहीं रहेगी खुदकाश्त के लिए उन्हें दूसरे काश्तकारों से जमीन छुड़ाकर खुदकाश्त के रूप में दी जाने वाली हैं। पर जो संशोधन पेश हुआ है सरकार की तरफ से, उसको देखने से स्पष्ट है कि जिसकी धारा १० के अन्दर यह लिखा है कि :

"10 (iii) "for the words Commencement of this Act the words, brackets and figures 'commencement of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Amendment) Act, 1954' shall be substituted......"

मतलब कोई भी आदमी जिसके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं है सेक्शन १४ के मातहत दरख्वास्त दे सकता है। वह ६ महीने की अवधि तक इस प्रकार की दरख्वास्त पेश करेगा और साथ-

[श्री भैरोंसिंह]

साथ जागीर रिज़म्प्शन अमेंडमेंट बिल जो यह आया है उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से यह एक्ट लागू होगा। उसमें यह बताया है कि :—

"It shall be deemed to have come into force from the 18th February, 1952."

यानी १८ फरवरी, १९५२ से यह एक्ट लागू होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि यह खुदकाश्त के लिए जमीन दिलाने की दलील कुछ भी नहीं रहेगी। इस तारीख के हिसाब से ६ महीने का पीरियड तो उसका समाप्त हो चुका और इस तरह अब दफा १४ में कोई भी व्यक्ति दर्ख्वास्त नहीं दे सकता। आप एक तरफ कहते हैं कि सद्भावना का निर्माण करो। आप सद्भावना का निर्माण करना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ छोटे राजपूतों के साथ आपने यह बर्ताव की परम्परा डाली। एक सहूलियत एक हाथ से दी कि ६ महीने के अन्दर-अन्दर वह खुदकाश्त की जमीन के लिए दर्ख्वास्त दे सकता है पर दूसरे हाथ से यह अमेंडमेंट लागू करके वह सहूलियत छीन ली। क्या यही सद्भावना का निर्माण करने के लिए आपका उपदेश है। खुदकाश्त के रूप में छोटे जागीरदारों को सहूलियत देकर दुनिया को यह बता दिया कि काफी मात्रा में छोटे जागीरदारों को जमीन छुड़ाकर दी जावेगी पर अन्दर ही अन्दर दूसरी ओर यह संशोधन लाकर आपने घोषित कर दिया कि उन्हें इस तरह की कोई जमीन नहीं दिलाई जा सकती।

जितने भी रेवेन्यू और सेटलमेंट के रेकॉर्ड्स हैं उनके बारे में जब यह कहा जाता है कि जागीरदारों ने अपने नाम लिखा दी हैं तो इस चीज का फायदा वही उठा सकते हैं कि जिन जागीरदारों के पास पैसा है। जो पटवारी २) रुपये के अन्दर इन्द्राज गलत कर सकता है उसको २) रु० के स्थान पर २०) रु० देने वाला पहुँच गया तो वह २०) रुपये वाले की तरफदारी करेगा और इन्द्राजात बदल देगा और वास्तव में कोई जागीरदार उस जमीन पर खेती करता है तो उसके खिलाफ भी दूसरा पहुँच कर उस खेत को अपने नाम करना चाहता है तो वह २) रुपये के बजाय २०) रुपये देकर अपने नाम इन्द्राजात करा सकता है। पाँच हजार से कम जागीरदारों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वह ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि दूसरे काश्तकार के मुकाबले में २) रु० के स्थान पर २०) रु० पटवारी को देकर उस प्रकार के इन्द्राजात करालें। इसके विपरीत इस प्रकार की आशा की जाती है कि जमीन किसी न किसी जरिये से सही रूप में सेटलमेंट रेकॉर्ड्स में और रेवेन्यू रेकॉर्ड्स में अपने नाम दर्ज करा रखी है तो उसके खिलाफ दूसरे लोग, जो उससे जलन रखते हैं या राजनैतिक फायदा उठाना चाहते हैं तो वह २०), २५), ५०) रु० रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खास तौर से पटवारी को देकर अपने नाम इन्क्लूड करा सकते हैं।

दूसरी जो खास तौर की समस्या है वह यह है कि इसमें यह कहा गया है कि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए सात गुना कम्पेन्सेशन दिया जायगा और जिनकी आमदनी कम है उनको ग्यारह गुना रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी जायगी, लेकिन उनको चाहे ग्यारह गुना रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट

[श्री भैरोंसिंह]

दे दी जाय या चाहे ७ गुना कम्पेन्सेशन दिया जाय उनकी रिहेबिलिटेशन की समस्या, जब तक सरकार एक मुश्त रकम नहीं देगी उस वक्त तक वह समस्या समाप्त होने वाली नहीं। कम्पेन्सेशन की रकम यदि १०) रु० या २०) रु० या ५०) रु० के (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इन्स्टालमेंट में दी जाय तो समस्या का हल होने वाला नहीं है। इन सारी बातों पर सरकार यदि छोटे जागीरदारों की समस्याओं को हल करना चाहती है तो कम्पेन्सेशन और भरण-पोषण के वास्ते खुदकाश्त जमीन आदि अन्य चीजों को और शामिल करे। जिन बड़े-बड़े जागीरदारों ने ५-१० हजार बीघा जमीन रख ली है उनके लिए तादाद मुकर्रर करने के लिए एक कमेटी एप्वॉइन्ट कर रखी है। तो छोटे जागीरदारों की समस्या इस प्रकार से हल हो सकती है कि उस कमेटी द्वारा बड़े जागीरदारों के लिए जमीन का जो सीलिंग प्रेस्क्राइब किया जाय उससे ज्यादा जितनी जमीन उनके खुदकाश्त में हो वह छोटे भूस्वामियों में तकसीम कर दी जाय ताकि वह उस जमीन का फायदा उठा सकें। तो वह क्लॉज इस संशोधन बिल में जो आना चाहिए था वह नहीं आया।

दूसरी चीज यह है कि जितने भी इन्स्टालमेंट दिये जाँय, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी जाय वह ज्यादा इन्स्टालमेंट में न रखकर आधी रकम तो एक मुश्त दी जाय जिससे जिनकी हालत दयनीय हो वे एक मुश्त रुपये का फायदा उठा कर किसी न किसी प्रकार से कुछ कर सकें। इसके अलावा सरकार कुछ नहीं कर सके तो आखिरी अपील मैं सरकार से यह करूंगा कि चाहे आप उनको कम्पेन्सेशन नहीं दें, खुदकाश्त की जमीन नहीं दें, एक तरीका और है। ५ हजार से कम आमदनी वाले जो छोटे जागीरदार हैं, उनकी दयनीय दशा है तो उनको बेकवर्ड क्लॉसिज़ में शुमार कर लिया जावे, आर्थिक रूप से राजपूतों को बेकवर्ड Class मान लिया जाय। उनसे आज हरिजनों की हालत भी अच्छी है।......

श्री अध्यक्ष—That is not within the competence of this Government to include them in backward classes.

श्री भैरोंसिह—गवर्नमेंट इस प्रकार की कार्यवाही करे क्योंकि जो आर्थिक रूप से बेकवर्ड क्लॉसेज़ हैं उनको भी बेकवर्ड समझा जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे थोड़ा समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—I am sorry.

श्री भैरोंसिह—इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।

श्री जवानसिह—माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में २ शब्द मुझे भी कहने हैं। प्रवर समिति के लिये एमेंडमेंट जो मूव हुआ था उसके सम्बन्ध में दो शब्द बोलने हैं।

श्री भैरोंसिह—माननीय अध्यक्ष, चूँकि डिबेट चल रही है इसलिये मुझे इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—No, no. I had given already 40 minutes to you. Brevity is the soul of wit. The Hon'ble Member should confine to the relevant points, only those which are necessary.

श्री भैरोंसिंह—यह बिल्कुल रिलेवेन्ट बात है। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूँगा कि यह मामला......

श्री अध्यक्ष—You cannot encroach upon my right.

श्री भैरोंसिंह--माननीय अध्यक्ष, इसमें टाइम लिमिट की बात नहीं थी तो मैं......

श्री अध्यक्ष—This is within my competence.

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह निश्चित मामला है कि जब किसी तरह की टाइम लिमिट नहीं की जाती है तो मेम्बर को अपने राइट के......

श्री अध्यक्ष—It is not the right of any Member to speak. It is the right of the Chair to allow him. When the Member had taken 35 minutes the other day I had asked him to conclude within 5 minutes, but he has taken 7 minutes and if he says that he has the right to speak, I refuse that. This is nobody's right to speak. It is the right only of the Chair to allow him.

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में कुछ पार्लियामेंट के रूलिंग्स आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—No ruling of the Parliament is applicable. It is my ruling which is applicable to this House and it is based on judicious and equitable discretion.

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ......

श्री अध्यक्ष—If you have to discuss this you can come. I refuse him to discuss any ruling. It is no right of the Member to speak.

श्री वेदपाल त्यागी--मैं रूलिंग्ज़ पर डिसकस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--Let Mr. Jawan Singh speak.

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, एक एमेंडमेंट माननीय राजा मानसिंहजी ने पेश किया था इस बिल के सिलसिले में कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और कुछ दिनों के अन्दर ही प्रवर समिति एक रिपोर्ट सदन में पेश करे, तत्पश्चात् यह बिल पेश किया जाय। इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता था कि अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने छोटे भूस्वामियों ने कुछ रिप्रेज़ेन्टेशन्स, माननीय पंतजी के सामने जाकर कुछ चीजें निश्चित की थीं और उन निश्चित की हुई बातों की झांकी हम देखते हैं कि मिली और उसके साथ-साथ अगर मैं गलत नहीं अर्ज कर रहा हूँ तो श्री मथुरादासजी ने जो संशोधन रखे हैं उनके अन्दर उन निश्चित की हुई बातों की झाँकी इस सदन को मिलती है, लेकिन यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि जो बातें राजस्थान सरकार ने छोटे भू-स्वामियों के साथ तय की थीं वे बातें कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन के रूप में पेश की हैं। इस तरह अगर आप इस बिल को कारगर करना चाहते हैं तो यह आवश्यक होगा कि यह बिल प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और जो बातें राजस्थान सरकार ने तय की हैं उनको, इस संशोधन बिल को और संशोधन करने के लिए राजस्थान सरकार अपने संशोधन प्रवर समिति के सामने पेश करे और इस एमेंडमेंट बिल में उनको ले लिया जाय और तत्पश्चात् यह सदन उसमें गौर करे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बातें हमारी सरकार ने पन्तजी के सामने तय की हैं उन चीजों को एमेंडमेंट बिल में पहले पेश करें, उसके बाद में यह सदन इस एमेंडमेंट बिल पर गौर करे। इसलिए मैं उस एमेंडमेंट बिल को सपोर्ट करता हूँ जो राजा श्री मानसिंहजी ने पेश किया था कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)--अध्यक्ष महोदय, जागीर उन्मूलन विधेयक पर करीब ६-७ घन्टों से लगातार चर्चा हुई और मैं समझता हूँ कि विरोध पक्ष की ओर से जितने भी सुझाव थे इस बारे में कहे गये। उनके कहने के अन्दर मुझे कई स्थान पर ऐसा महसूस हुआ कि फेक्ट्स से ज्यादा भावनाओं पर आधारित बातें कही गईं और इन भावनाओं के आधार पर जब बातें कही जाती हैं तो वस्तु स्थिति से हम कुछ दूर हो जाते हैं।

सब से पहले मैं उन बातों की ओर भी कुछ कहना चाहूँगा जो कुछ सदस्यों ने यहाँ रखी हैं। उनका यह कहना था कि क्षत्रिय महासभा के साथ जो समझौता किया गया वह क्षत्रिय महासभा जागीरदारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और इसलिए सरकार को यह समझ कर नहीं चलना चाहिये कि जो पंतजी द्वारा निर्णय किया गया है और पंडितजी द्वारा जिनका समर्थन किया गया है वह पूर्ण होगा। मुझे, अध्यक्ष महोदय ये बातें सुनकर दरअसल में दुःख हुआ। इस बात पर करीब साल भर से अधिक समय हो गया है, बात-चीत चलती रही। इस बीच में प्रतिनिधित्व कौन करता है और कौन नहीं करता, इस मामले में कभी चर्चाएं नहीं की गईं। पंतजी के पास जाकर जब पहली बार बातचीत की गई उस समय कोई प्रश्न नहीं उठाया गया और आज के दिन कुछ व्यक्ति शायद ५ हजार के नीचे की जागीरों का नाम लेकर और कुछ शायद यह कहकर कि उदयपुर को राजपूत सभा और जयपुर की सभा ने अपने यहाँ के क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधियों के प्रति अविश्वास जाहिर किया है, यह बताने का प्रयत्न किया और कहा गया कि जो कुछ तय हुआ है उससे वे सहमत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन सारी बातों को बताना नहीं चाहूँगा कि क्षत्रिय महासभा

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

के अन्दर क्या राजनैतिक असर पैदा हो रहा है और किन चीजों के जरिये ये बातें आ रही हैं। एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि उनमें एक का स्थान दूसरा लेना चाहते हैं। इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि यह उनके अन्दर का विषय है। लेकिन एक बात निश्चित मानकर चलना चाहिए। कई सदस्यों ने यह कहा कि अब जो कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है वह पहले के मुकाबले में अधिक दिया जा रहा है, यह बतलाने की कोशिश की गई। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे दिमाग पर यह असर नहीं है कि जो कुछ हमने तय किया है उस बात को सब मिलकर पलटना चाहते हैं, ऐसा मेरा ख्याल नहीं है। लेकिन जो कुछ तय किया गया है, कम्पेन्सेशन अधिक देने की बात तय की गई है वह केवल इसलिए तय की गई है कि हम समझौता और शान्ति के द्वारा इस प्रश्न को हल करें। लेकिन यदि कोई यह समझता हो कि एक तरफ बात-चीत के जरिये जितना अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें वह किया जाय और उसके अतिरिक्त और तरीके काम में लावें जिससे और अधिक प्राप्त हो सके; यदि यही बात है तो मैं समझता हूँ वे भ्रम में हैं। सरकार ने जो कुछ किया, जिस सद्भावना से किया या जिस भावना से प्रेरित होकर किया उसकी पूर्ति इससे नहीं होती, इसका दूसरा ही असर होता है। तो मैं समझता हूँ यह न तो नैतिक दृष्टि से ठीक है और न इससे आपका कोई हित ही होगा।

छोटे जागीरदारों के नाम पर कई व्यक्तियों ने यह कहा कि उनको तादाद ज्यादा है, उनको नुकसान होगा। उसके बारे में बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है। उनके द्वारा राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे क्षमा करें, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कायम रहने का उद्योग जारी है। आज भी खुदकाश्त की जमीन के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर इसको कायम रखने की चेष्टा की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं मानता हूँ कि छोटे जागीरदारों और भोमियों पर इसका कुछ असर पड़ेगा लेकिन जैसा कि रात-दिन कहा जा रहा है कि लाखों आदमी ऐसे होंगे जिनके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं रहेगी, यह गलत है। हमने इसकी जाँच की है। और उसके आधार पर निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जिनके नाम गिनाये जा रहे हैं, जिनमें माफीदार, डोलीदार, भोमिये और सब प्रकार के जागीरदार आ जाते हैं, उनमें से ९० प्रतिशत के पास खुदकाश्त की भूमि मिलेगी। १० प्रतिशत ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कम हो या कुछ के पास न हो लेकिन कम से कम ९० प्रतिशत के पास भूमि खुदकाश्त की अवश्य होगी। यह कहना कि उनके पास भूमि नहीं होगी और लाखों को बे-घरबार होना पड़ेगा और लाखों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, मैं समझता हूँ बढ़ा-चढ़ा कर रखा हुआ पिक्चर है। मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। हमने इसकी जांच की है और जांच का जो नतीजा प्राप्त हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि यह कहना कि जमीन नहीं है, सही नहीं है। यह ठीक है कि कुछ के पास जमीन नहीं है लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए भी एक बात समझ कर चलना होगा कि जिनके पास नहीं है उनको जमीन कैसे दी जाय, एक तरफ के लोग कहते हैं कि किसानों को जमीन पर से हटा कर उन जागीरदारों को दी जाय और दूसरी तरफ के लोग यह कहते हैं कि नयी जमीन पर बसाने के लिए साधन दिये जायें। सरकार इस बात को पसन्द नहीं करती कि एक किसान को बेदखल कर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

के उसकी जमीन पर दूसरे को कब्जा दिया जाय, क्योंकि इससे एक प्रश्न के बजाय और भी प्रश्न गंभीर रूप धारण कर लेंगे। सरकार राष्ट्र की दृष्टि से इस पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना चाहती है। एक को खुदकाश्त की जमीन दिलाने के लिए ३-४ किसानों को हटाना पड़ता है, तो हम यह पसन्द नहीं करते। उनको नयी जमीन पर बसावें इसके, बजाय ३-४ को उजाड़ा जाय या नहीं, इस बारे में हमने नये सिरे से विचार किया। जब इस पर हम विचार करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमदर्दी के साथ हमने नहीं सोचा। "हमदर्दी" एक ऐसा शब्द है जिसका जिस प्रकार से उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। सरकार की दृष्टि से हमदर्दी का अर्थ यही हो सकता है कि कुल मिलाकर सारे राजस्थान की जनता पर किसी भी सरकारी कार्यवाही का क्या असर होगा, इसको ध्यान में रखें यदि यह नीति तय करें कि जमीन देने के लिए पहले से जो उस जमीन पर काश्त करता आ रहा है उसको बेदखल किया जाय तो एक तरीके से तो कहा जा सकता है कि यह वाजिब है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

लेकिन सामाजिक या आर्थिक न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो कोई नहीं कह सकता, हम उस काश्तकार को हटा कर उसको दे दें जिसने उस पर कभी काश्त नहीं की है। सभापति महोदय, हमने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई जागीरदार है, मगर वह पिछले ५ वर्षों से सन् ४८ से किसी जमीन पर काश्त खुद करता आ रहा है तो उसको वह जमीन मिल सकती है, उस हालत में वह हमारे सामने जागीरदार होते हुए भी काश्तकार है। कोई जागीरदार काश्त करता है तब भी उसको उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

मैं यह मानता हूँ कि जिन्होंने पहले काश्त की है, जो काश्तकार हैं तो उनका हक है, लेकिन किसी ने पहले कभी काश्त न की हो और अब काश्त करना चाहता है, काश्त के लिए नये तौर से तैयार हो तो उसके लिए यही व्यवस्था की जा सकती है कि जिस व्यवस्था से दूसरों पर असर नहीं पड़े।

इस प्रश्न को लेकर कई साहबान ने गलत चर्चा की है। कई ने कहा और बड़े जोरों से कहा कि किसानों के लिए इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं की गई, जो जमीनें रेकर्ड में दर्ज थीं उनको खुद काश्त में दर्ज कर लिया और किसानों के साथ अन्याय किया गया है। कई लोगों ने कहा कि जिनके पास जमीनें नहीं है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

सभापतिजी, मैं समझता हूँ कि इस बिल को अच्छा हो कि न केवल अकेले इस बिल पर ही विचार करें, इस बिल के साथ-साथ टिनेन्सी बिल को भी ध्यान में रखें जो बातें इस बिल में हैं वही टीनेन्सी बिल में भी बहुत सी बातें रखी हैं। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिये। इन दोनों पर साथ साथ विचार नहीं किया तो सम्भव है कि फरक पड़े। टिनेन्सी बिल में जो काबिज काश्तकार हैं, उनको हमने अधिकार दिये हैं, उनसे हमारी कल्पना मालूम होती है। ये टिनेन्सी बिल की बातें हैं, उनको यहाँ लाने से कोई लाभ नहीं। सरकार

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

की तरफ से मैं समझता हूँ, इस बारे में नीति बहुत स्पष्ट है। हमने साफ तौर से कहा है कि जो जमीन पर सब टिनेन्ट्स या टिनेन्ट्स हैं, जो काबिज हैं, उस आदमी को उस जमीन पर से हटाने का प्रश्न ही नहीं आता। एक सीमा तक इस नीति को निर्धारित किया है, लेकिन जहाँ सीलिंग के प्रश्न पर चर्चा की गई, राजस्थान सरकार को सीलिंग कायम करने के लिए कि स्ट्रीगि तौर से सीलिंग तय कर देती, जिनके पास ज्यादा जमीन है उसको लेकर दूसरों में बाँट देती तो मैं कहता हूं, सभापतिजी, यह इस बिल के दायरे के बाहर की बात है। सीलिंग हमें करना है, वह अलग विषय है जिसको अलग तौर से राजस्थान सरकार सोच रही है और हम इस बारे में कार्यवाही करने की सोच रहे हैं। जब वह कार्यवाही पूर्ण हो जायगी तब सामने आयेगी। तो टिनेन्सी बिल के माफिक हमें इस बिल पर विचार करना पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में चर्चा की और एक तरह से बहुत जोर से कहा कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं इससे राजस्थान में बहुत से आदमियों पर असर पड़ेगा। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि जो यह विधेयक सदन के सामने उपस्थित है, उससे लाखों आदमियों की जिन्दगी पर असर पड़ने वाला है। पर इस असर को बर्दाश्त करने के लायक बनाने का हमने प्रयत्न किया है। छोटे जागीरदारों के लिए भी हमने इस प्रकार का अवसर रखा है, एक बात को छोड़ कर कि एक को बेदखल करके दूसरे को दे दी जाय, इसको छोड़ कर उनको बसाने के लिए सरकार पूरे तौर से ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहती है, जो पंत रिपोर्ट से जो कि सदन में दी जा चुकी है, इससे जाहिर है। इसके लिए यह कहना कि हम उनको बेघरबार करना चाहते हैं, उनके घर छुड़ा देना चाहते हैं और उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते, यह गलत है। एक पक्ष कहता है कि उन्होंने अपनी जमीनों को अलग अलग टुकड़ों में अपने रिश्तेदारों में बाँट दीं, उनके पास जमीनें नहीं रहीं, कोई कहते हैं कि उनके पास बिल्कुल जमीनें हैं ही नहीं, यह विरोधाभास चल रहा है। इसकी जाँच के बाद ही अन्दाज लगाया जा सकता है कि सत्य क्या है?

एक माननीय सदस्य ने कहा कि खुदकाश्त की दरख्वास्त भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वह समय निकल गया है। सभापतिजी, मैं आपके द्वारा सदन को सूचित कर देना चाहता हूँ कि वाजिब बातों पर जो संशोधन आयेंगे उनको स्वीकार करने में सरकार को हिचकिचाहट नहीं आयेगी। कुछ और भी बातें हो सकती हैं, खुदकाश्त की दरख्वास्त के अलावा उन पर भी संशोधन जो यहाँ रखना चाहते हैं उन पर पूरा विचार किया जायगा। खुदकाश्त के लिए दरख्वास्त दें, उस पर विचार किया जायगा। जो समय निकल गया है इससे हम उनको मौका न दें, हम में इतनी रिजिडिटी नहीं है कि हम उनकी बात पर नहीं सोचें। ऐसी बात नहीं है।

इस प्रकार एक और बात कही गई कि जागीरदारों के नौकरों को भी सरकारी नौकरी में लेने का प्रोविजन इस बिल में कर दिया गया है। जिस भाषा में वह धारा इस बिल में आई है उसको देखने से स्पष्ट जाहिर होगा कि जो योग्य व्यक्ति होंगे उन्हें सरकारी सर्विस में लिया जायगा। मैं समझता हूँ कि राजस्थान का इतना बड़ा हिस्सा जागीरदारी शासन में था, उसमें तब्दीली हो, वह

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

भी राजस्थानी है और अगर वे सरकार के काम में आ सकते हैं तो उन्हें क्यों नहीं लिया जाय ? हमने यह नहीं कहा कि जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होगी उनको भी ले लेंगे । यह तो आवश्यक बात है कि जिन व्यक्तियों को उस जगह से एक तरह से बेकार होना पड़ेगा, उनमें से उपयुक्त व्यक्तियों को सरकार स्थान दे ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले बिल में पर्सनल कल्टीवेटेड लेन्ड को ही खुदकाश्त माना गया है पर इसमें रेकर्डेड जमीन को भी खुदकाश्त माना है । सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रिन्सिपल्स हमने बना रखे हैं, जो नीति निर्धारित कर रखी है उसी के आधार पर चलना मैं न्यायोचित मानता हूँ । जिस प्रकार एक काश्तकार की या किसी और की जमीन सेटलमेंट के समय उसके नाम दर्ज हो जाती है तो उस जमीन पर उस व्यक्ति का हक होता है । सेटलमेंट के वक्त एक जागीरदार के नाम जमीन सेटलमेंट के रेकर्ड में दर्ज की जाती है तो उस जमीन पर जागीरदार भी उसी प्रकार का हक रखता है जिस प्रकार कि एक दूसरा खातेदार । जब हर खातेदार को पर्चा मिलता है तो किसी जागीरदार को इस हक से इन्कार करना न्यायोचित नहीं होगा । उदाहरण के तौर पर एक जागीरदार है, वह कल जागीरदार नहीं रहता लेकिन खातेदारी का पर्चा उसके पास रहता है तो वह खेती करके अपना निर्वाह कर सकता है । तो उसको इस हक से इन्कार करना न्यायोचित नहीं होगा ।

हमने न्यायोचित समझ कर इसको रखा है । यह दलील दी जाती है कि गलत तौर से लोगों पर दबाव डाल कर, असर डाल कर अपना नाम लिखा लिया तो इस दलील को ठीक रखने के कई मौके होते हैं । सेटलमेंट के रेकर्ड के माफिक ऑब्जेक्शन्स रेज़ करके, सिविल सूट करके इस तरह के गलत इन्दराज को दुरुस्त करवाया जा सकता है, गलत रेकर्ड को ठीक करवाया जा सकता है । लेकिन एक पक्ष के लिए सरकारी रेकर्ड को अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं होगा ।

एक सदस्य ने कहा, मेरा खयाल है कि उन्होंने इस बिल को देखा ही नहीं । अभी इस बिल को लाये हैं उसको देखा होता तो साफ हो जाता । उन्होंने कहा कि किसान को १० गुना लगान खातेदारी से देना पड़ेगा । पहले बिल में यह धारा है, उस धारा को हटा दिया गया है । इस नये बिल में तो १० गुना लगान देने की जो १०, ११ और १२ धाराएँ हटाने का क्लॉज़ है, इसमें तो यह है कि कोई नये तौर से रकम देकर नये सिरे से खातेदारी के हक प्राप्त नहीं कर सकता ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि वैंकटाचार कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी और उस कमेटी ने कहा था कि जागीरदारों को प्रोप्राइटरी का हक नहीं है इसलिये वे लोग रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के हकदार हैं, कम्पेन्सेशन के हकदार नहीं हैं । इस सदन के बहुत से सदस्य जानते हैं कि इस रिपोर्ट के बनने के बाद मध्य भारत में व्यवस्था की गई, उसमें कम्पेन्सेशन की व्यवस्था की गई है । परन्तु मूल प्रश्न तो यह नहीं कि इसे रिहेबिलिटेशन के नाम से कहें यह, कम्पेन्सेशन के नाम से कहें, सवाल तो यह है कि दिया जाय या नहीं दिया जाय ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कई सदस्यों ने यह कहा है कि कुछ भी मुआवजा क्यों दिया जावे, जागीरें बिना कुछ मुआवजा दिये ही समाप्त की जावें। इस पर सदन में चर्चाएँ कई बार हो चुकी हैं और उनमें बराबर हम यही कहते आये हैं कि हम बिना मुआवजा दिये जागीरें नहीं लेंगे। हम इस बात को मान कर चलते हैं कि कम्पेन्सेशन दिया जाए और रिहेबिलिटेशन किया जावे, लोगों को बसाया जाय; यह ज्यादा उपयुक्त होगा बजाय इसके कि हम उस तरीके को अपनाएँ कि जागीरें बिना मुआवजे के ही समाप्त कर दी जावें जिससे अशान्ति पैदा हो। हम इसमें विश्वास करते हैं कि शान्ति रहे और हिंसा न हो। हम यह जानते हैं कि अशांति के साथ हिंसा बढ़ती है और इस हिंसा में हमारा विश्वास नहीं है। हम तो अहिंसा के मानने वाले हैं। मैं यह कहूँगा कि हमेशा एक पक्ष यही कहता रहेगा कि बिना किसी मुआवजे के जागीरें ली जावें और हम यही कहते रहेंगे कि हम शांति के अनुयायी हैं। हम कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन के तरीको से किसी व्यक्ति को शांति से रहने देने के पक्ष में हैं। इसीलिये कम्पेन्सेशन बढ़ाने की बात-चीत हुई है। मगर यह कहा गया है कि यह एक राजनैतिक कारण से किया गया और जागीरदारों को ज्यादा देकर राजनैतिक कारणों से पब्लिक पर ज्यादा बोझा लाद दिया गया है। मैं इस विषय में उलझना नहीं चाहता लेकिन एक बात निश्चित तौर से कह देना चाहता हूँ और उन सदस्यों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने यह कहा कि जो लोग पहले इधर थे और अब उधर चले गये, जिन्होंने यह कहा कि पहले जब अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के प्रति आया था उस समय यह कहा गया था कि कॉंग्रेस की सरकार कायम रहनी चाहिये और उनको विरोधी पक्ष में नहीं जाना चाहिये। जागीरदारों ने हमेशा किसानों पर जुल्म किये हैं, आज वे ही जागीरदारों का पक्ष ले रहे हैं। सभापति महोदय, मैं निश्चित तौर से यह कह सकता हूँ कि इस गुजरने वाले समय में सरकार ने किसानों के हित का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। किसानों का सबसे बड़ा हित जमीनों पर उनका अधिकार होना है। उनका लगान निश्चित हो, ये ही बातें खास करके किसान के हित की होती हैं और इस पर सरकार ने बराबर कोशिश की है और उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टीनेन्ट और फिक्सेशन ओफ रेन्ट दिया गया है। इसमें सरकार ने कहीं भी इधर-उधर नहीं किया है।

सरकार ने किसानों के हित के लिये राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से में सेटलमेंट करा दिया है और जहाँ पर सेटलमेंट हो गया है वहाँ लोगों को पर्चे दे दिये गए हैं। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। इसके बारे में कोई इन्कार नहीं कर सकता।

सदन के एक माननीय सदस्य ने यहाँ तक कहा कि जागीरदारों ने एक लाख रुपया इकट्ठा किया है। न मालूम उनके पास यह इतिला कहाँ से आई, मेरे पास तो कोई ऐसी इतिला नहीं। यह भी मालूम नहीं कि क्यों जागीरदार रुपया इकट्ठा कर रहे हैं? माननीय सदस्य किसी तरह से कह गये कि जागीरदार रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा होता अगर वे इस बात को भी बतला देते कि उन रुपयों का क्या और कैसे उपयोग होगा, कहाँ पर यह रुपया खर्च होगा और कहाँ खर्च नहीं होगा। तो सदन को मालूम होता कि कहीं वह रुपया इधर-उधर से हम पर तो अपना असर नहीं डालता है; बजाय इसके कि इस पर एक बात कह कर आप चुप हो जाते। मैं समझता हूँ कि उनको कहने का अभ्यास है और वे ऐसी चीजें बताते हैं और ऐसे मौके पर ही प्रस्तुत करते हैं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं एक बात खास तौर से सदन के सदस्यों की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ सदस्य, जो उधर से इधर आये हैं उनके उधर से इधर आने में कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन के बारे में जो सरकार की तरफ से फैसला किया गया है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं समझता हूँ कि यदि कोई भी विरोधी पक्ष के व्यक्ति यह समझें कि हमने कम्पेन्सेशन या दूसरे कन्सेशन के बारे में उन लोगों से बारगेन (bargain) की स्पिरिट में बात-चीत की हो, ऐसी बात नहीं है। जब कभी इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आया हमने हमेशा इन्कार किया और यही कहा कि इस प्रश्न को हम अलग तौर से सोचना चाहते हैं कि क्या मुआवजा आदि देना उचित है और क्या अनुचित ? लोग यह समझते होंगे कि एक पक्ष के व्यक्तियों ने दूसरे पक्ष के लोगों से मिल कर राजनैतिक सौदेबाजी कर ली है, मगर यह समझना ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमने अखिल भारतीय आधार पर ऊँचे से ऊँचे व्यक्ति को और हर व्यक्ति को सोचने का मौका दिया और जागीरदारों को ज्यादा मुआवजा देने के मामले में हमेशा सरकार ने विरोध किया। यह ज्यादा मुआवजा देने की बात पंडितजी की ओर से आई। इसलिये यह कहना कि राजस्थान सरकार ने सौदाबाजी करके जागीरदारों को ज्यादा मुआबजा दिया जाने का पक्ष किया, यह गलत है। सरकार ने हमेशा यही कहा कि दूसरी जगहों के मुआवजों को सामने रख कर इस पर विचार किया जावे और इसी आधार को सामने रखते हुए बात-चीत की। इसलिये यह समझना कि जो कुछ कम्पेन्सेशन बढ़ा है राजनैतिक सौदेबाजी से बढ़ा है बिल्कुल गलत होगा।

माननीय अध्यक्ष, एक सदस्य ने यह कहने का प्रयत्न किया कि इस बात-चीत में जागीरदारों के एक पक्ष को ही सुना और दूसरे लोगों को नहीं सुना। उसमें किसानों के प्रतिनिधि नहीं थे। मैं समझता हूँ कि कई बार पब्लिक और किसानों के प्रतिनिधि न होते हुए भी प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और देखने की बात यह है कि उन लोगों के पीछे ५ किसानों के प्रतिनिधि भी नहीं हैं। वे लोग किसानों के प्रतिनिधित्व का दावा करके बहुत जोरों से आवाज किसानों के लिये उठाते हैं। उनको यह जानना चाहिये कि जो लोग इस पक्ष की तरफ बैठते हैं उन लोगों ने उनसे ज्यादा किसानों के साथ बैठ कर काम किया है और जागीरदारों से संघर्ष हुआ उसमें भी भाग लेने वाले व्यक्ति इधर बैठने वालों में ज्यादा हैं। इसलिये कोई आदमी जोर-शोर से यह यह कहे कि किसानों के साथ अहित होगा, मैं समझता हूँ कि यह कहना गलत होगा। जहाँ तक कांग्रेस के व्यक्तियों का किसानों के हित से सम्बन्ध है, ज्यादा लोगों ने किसानों के हित के काम किये हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इस बात-चीत में राजस्थान की राजनैतिक संघर्ष में ज्यादा से ज्यादा तकरीर करने वाले और किसानों के नारों की आवाज को बुलन्द करने वाले व्यक्ति इस बात-चीत में शामिल थे और उन्होंने बातें की हैं। मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पन्तजी की रिपोर्ट पढ़ी है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ी होगी और जिन्होंने यह रिपोर्ट पढ़ी है वे जानते हैं कि इस बात-चीत में श्री कुम्भारामजी आर्य, हरलालजी और बलदेवरामजी तक को शरीक रखा, ताकि वे लोग भी खुल कर किसानों के हित में चर्चा कर सकें। यों तो कोई भी खड़ा होकर यह कह सकता है कि हम किसानों का प्रतिनिधित्व

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

करते हैं, लेकिन वह प्रतिनिधि तभी हो सकता है जब किसान उसको अपना प्रतिनिधि माने। हमने जागीरदारों को अधिक कम्पेन्सेशन देने के साथ-साथ किसानों के हितों को भी हमेशा ध्यान में रखा है। हमने किसानों को जमीन पर कायम रखने के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया है। आज इस सम्बन्ध में जो राजस्थान में तरक्की हुई है वह किसी से छुपी नहीं है। हमने जो कुछ किया वह सब आप लोगों के सामने है, किसी से कोई छुपा नहीं है। क्षत्रिय महासभा से हम सहमत-असहमत हुए यह सब लोग जानते हैं। यह किसी से छुपा नहीं है। उसकी रिपोर्ट छपी है। उसको देखने से मालूम होगा कि किसानों के हित को सामने रखा गया है या नहीं।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो यह है कि छोटे जागीरदारों को हम १५ वर्ष में जो कम्पेन्सेशन देंगे उससे उन लोगों को बसने में ज्यादा मुश्किल सामने आवेगी। मैं इस स्पष्टीकरण से सहमत हूँ। हो सकता है कि एक हद तक यह ठीक हो। बहुत छोटे जागीरदारों को बहुत अर्से में कम्पेन्सेशन मिलने से उनको इतना फायदा नहीं हो सकता जितना कि उनको एक साथ रकम मिल जाने से होता, लेकिन जैसी राजस्थान की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए इस बिल में यह प्रोवीजन नहीं रख सकते कि हम उन्हें ज्यादा रकम दे दें जिनकी कि हम भूमि लेते हैं।

लेकिन जब सरकार के सामने पूरी तौर से तस्वीर आ जायगी कि कितना रुपया इस सारे काम के लिए देना होगा, कितना खर्चा करने पर यह प्रश्न हल हो सकता है, रुपयों की व्यवस्था यहाँ से हो सकती है या भारत सरकार से बात-चीत करके या और किसी प्रकार से व्यवस्था हो सकती है। तो मैं आपके द्वारा सभापति महोदय, सदन को और छोटे-छोटे जागीरदारों को जो चर्चा करते हैं उनसे कहूँगा कि हमें उसके लिए कोई विरोध नहीं होगा। केवल आर्थिक दृष्टि से ही हम को यह प्रश्न देखना होगा, किस प्रकार जल्दी-जल्दी रिहेबिलिटेट करने में किस प्रकार सुविधा हो सकती है और कोई सम्बन्ध होगा तो उस पर बाद में भी विचार करने के लिए सरकार तैयार हो सकती है, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ।

इसके अलावा और भी बहुतसी बातें कही गई हैं। सभापति महोदय, मैं इस वक्त उनमें पड़ना आवश्यक नहीं समझता। जब हम क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन करेंगे तो उनकी चर्चा आ जावेगी।

कानूनी डिफिकल्टीज़ के आधार पर एक माननीय सदस्य ने आगे ऐतराज खड़ा न हो, ध्यान आकर्षित किया। मैं निवेदन करूँ कि अमेंडमेंट्स लेते समय इस चीज़ का समावेश कर सकते हैं कि अमुक दृष्टिकोण के आधार पर अमुक चीज़ समावेश की जा सकती है, तो उस वक्त उस पर विचार कर लिया जा सकता है। जो अधिकांश बातें कही गई हैं उनके समावेश का प्रश्न इस वक्त इसमें नहीं आ सकता। ऐसा मेरा खुद का खयाल है कि कई चीजों का, जो कही गई हैं इसमें समावेश नहीं हो सकता है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं उन चीजों में भी नहीं पड़ना चाहूँगा जैसा कि एक मित्र ने कहा कि आज यहाँ कुछ भी कर दिया जाय, एक अवसर आयगा जब किसान इसका विरोध करेंगे और सरकार का तख्ता उलट दिया जावेगा अगर इस बिल को पास करेंगे। मैं आपसे कहूँ कि हम धमकियों से विचलित नहीं हो सकते। धमकियाँ कई बार दी गई हैं और कई बातें कही गई हैं। हम तो एक चीज़ में विश्वास करते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित ? जो उचित है उसको दृढ़ता के साथ करना है और जनता को समझाना है। मेरा निश्चितरूप से मत है कि जो बिल पेश किया गया है उसको सही तौर पर सही रूप में जनता के समक्ष रखा जायगा और उसका पालन किया जायगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक सरकार का प्रश्न है यह समझ कर नहीं चलें कि विरोधी दल के, जैसा कि कहा गया, कुछ मित्र इधर आ गये और जो प्रतिक्रियाएँ हुईं, ऐसी इस बिल को पालन करने के बारे में होंगी। मैं समझता हूँ कि जो जनरल डिस्कशन किया गया है उस पर इस ओर से काफी रेस्ट्रेन्ट रखा गया है। ज्यादा बातें उस पक्ष की ओर से ही कही गई है कि यह उपयुक्त होगा, यह उपयुक्त नहीं होगा और यह किया जाय, वह किया जाय आदि। पालन करने के बारे में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जिस चीज़ को पूरा किया है उसका पालन किया जायगा। मैं साथ में आशा करता हूँ कि जो कुछ किया गया है उसी स्पिरिट में क्षत्रिय महासभा और दूसरे व्यक्ति भी पालन करेंगे और कोई कारण ढूँढ कर इसका इधर-उधर गलत फायदा उठाने का प्रयत्न नहीं करेंगे और इतना मानकर चलें कि अगर इस प्रकार प्रयत्न किया भी गया तो वह प्रयत्न सफल होने वाला भी नहीं है। जो फायदा कॉम्प्रोमाइज़ से प्राप्त हो सकता है उसको कॉम्प्रोमाइज से ही प्राप्त किया जाय और अन्य तरीकों को काम में नहीं लिया जाय। इस आशा के साथ आगे हम विचार करें तो इन प्रश्नों के ऊपर ज्यादा सहृदयता के साथ, गम्भीरता के साथ विचार करें बजाय इसके कि इस भावना को बीच में लाया जाय। पुरानी बातों के बारे में बहुत कहा गया कि ये ज्यादतियाँ हुई हैं, वे ज्यादतियाँ हुई हैं। यदि हम इन चर्चाओं में पड़ेंगे तो सदन का समय अधिक लेंगे। हम यह देख रहे हैं कि हम एक व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। जो मूल प्रश्न है उस पर विचार करें, बजाय इसके कि हम भावनाओं में जाँय।

सिलेक्ट कमेटी और पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट करने के जो अमेंडमेंट्स आये हैं उसके बारे में यही कहूँगा कि बिल पर काफी अमेंडमेंट आये हैं, उन पर विचार किया जाय और इन दो संशोधनों पर अधिक समय न लगा कर सदस्य महोदय उसको वापिस ले लें। मैं समझता हूँ कि क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इस बिल को लिया जाय और यह तरीका काम में लेना ही उपयुक्त होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो बातें अभी तय हुई हैं उनको बिल में अमेंडमेंट के लिए सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो बातें हुई हैं, जो निर्णय हुए उनको उनमें ले लिया जावेगा। अगर सिलेक्ट कमेटी में उनके समावेश के लिए भेजा गया तो काफी समय लग जावेगा और इस प्रकार समय लगाना उचित भी नहीं। जल्दी से जल्दी हम इस बिल को कार्यान्वित करें और इसी लक्ष्य के आधार पर माननीय सदस्य अपने अमेंडमेंट्स वापिस लेने की कृपा करेंगे।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री तनसिंह—माननीय सभापतिजी, अभी जो सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने मेरे संशोधन और अन्य संशोधन के विषय में विस्तार से चर्चा की उसको मैंने ध्यान पूर्वक सुना लेकिन ध्यान पूर्वक सुनने के बाद मुझे जिस चीज़ का ज्ञान हुआ, मुझे महसूस हुआ कि जिस सिद्धान्त पर मैंने अपना संशोधन रखा था उस सिद्धान्त के विरोध में अब तक उन्होंने कोई विशेष प्रकार की दलील नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि बहुत से लोग भावनाओं में आकर बह गये। कुछ यह भी कहा गया कि कुछ छोटे जागीरदारों के नाम पर या साधारण राजपूतों के नाम पर कुछ लोग राजनैतिक फायदा उठाते थे और उठा रहे हैं, इसलिए संभवतः ऐसा किया गया है लेकिन मैंने इसके अलावा स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा में यह कहा था कि राजस्थान क्षत्रिय महासभा उन समस्त छोटे जागीरदारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और इसके अलावा यह कहा था कि क्षत्रिय महासभा साम्प्रदायिक संस्था है जिसका प्रतिनिधित्व मानना कॉंग्रेस और उसकी सरकार की नीति के बिल्कुल विरुद्ध है और इसके अलावा यह भी मान लिया जाय कि क्षत्रिय महासभा, समस्त जागीरदार, जिनमें पांच हजार और उसी से नीचे की आमदनी वाले जागीरदार भी सम्मिलित हैं प्रतिनिधित्व करती है तो भी एक बात संदिग्ध है कि मैं समझता था कि वे जागीरदार जिन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया है स्पष्टीकरण करेंगे और बतादेंगे, जैसा कि वे बाहर कहा करते हैं। लेकिन अफसोस है कि बाहर वे बहुत सी बातें कहा करते हैं किन्तु यहां जब उनके सामने यह प्रश्न उठा तो उन्होंने पांच हजार की जागीरों के बारे में कुछ नहीं कहा। तो, इससे स्पष्ट नहीं हुआ कि जागीरदार निरूद्देश्य हैं। ऑबजेक्टस एन्ड रीज़न्स बिल में प्रकाशित हुआ है कि यह बिल निश्चित रूप से उन्हीं बातों पर आधारित है जो बातें उन जागीरदारों के और सरकार के बीच हुई थीं। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि जागीरदारों ने उन सब बातों का प्रतिनिधित्व नहीं किया है जो इस बिल में आई हैं। अब यह प्रश्न रहता है कि जब एक ओर सरकार यह कहती है कि जब हमने बातचीत चलाई, पंतजी के सामने बातचीत हुई, नेहरूजी के सामने प्रतिनिधित्व हुआ और तब तक इस बात को कभी उठाया नहीं गया और यह बिल सामने आगया तो उस समय लोग कहते हैं कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं और अब वे इस बात को उठा कर रोड़े अटकाना चाहते हैं उसके उत्तरस्वरूप मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन को जो कुछ भी हमें मन्त्रीजी द्वारा सूचना मिली है वह ऐसी सूचना है कि साधारणतया उस पर वैधानिक रूप से विश्वास करना चाहते हैं, वे सोचते हैं जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने जिक्र किया कि इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर कि जागीरदारों और कांग्रेस के बीच में भूमि की समस्या के विषय में, जागीरों की समस्या के विषय में कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, इस पर जहाँ तक मेरी जानकारी है सदन के नेता ने कहा था कि इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं चल रही है और बहुत सी बातें बाहर चला करती हैं, तो जब इस तरह का उत्तर मिलता है, तब उन सब बातों से कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि उनके बीच क्या बातें हो रही है। अब यदि इस सम्बन्ध में यह कहा जाय कि किसी कार्य के लिए राजस्थान के गरीब लोगों के भाग्य का निपटारा करने के लिए दो-चार व्यक्ति मिल कर राजस्थान की कहावत के अनुसार कि कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहे हैं कोई अनुपयुक्त नहीं होगा। हम लोगों के लिए क्या निर्णय किये जा रहे हैं, किसान क्या-क्या कहते हैं, कौन-कौन किस प्रकार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यह सब बातें हम नहीं जान सकते, जब तक कि बातें करने वाले यह नहीं बताते कि हम किस पर बातें करते हैं?

[श्री तनसिंह]

इसलिये यह कभी नहीं कहा जा सकता बल्कि यह पहले उन पर लागू होता है, क्योंकि उन्हीं को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये। हम इस भरोसे आगे बढ़कर कुछ ऐसी बातें भी करने जा रहे हैं जिनके विषय में संभवतः बहुत से लोगों के हक सम्मिलित हैं। अगर किसी प्रकार की प्रार्थना करनी है, बहुत से लोग बातें कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई, यह कोई युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता।

एक बात जो बिल्कुल भिन्न कही गई, दोनों मन्त्रियों के जो उत्तर सुने वे परस्पर विरोधी मालूम होते हैं। एक हमारे सदस्य महोदय ने कल या परसों बताया था और यह शंका प्रगट की कि बहुत सी रिट एप्लीकेशन्स जो हाई कोर्ट में दायर की गईं वे वापिस नहीं ली जायेंगी इसलिये जो सहानुभूति का वातावरण होना चाहिये था, जो एक अच्छाई का निर्माण होने का था, नहीं हुआ। इस शंका का उत्तर देते हुए सदन के नेता ने यह भी बताया कि लगभग ३०० ऐप्लीकेशन्स वापिस ले ली गईं और बहुत कम ऐसी हैं जो बाकी लेनी रही हैं। इन सब बातों को कहते हुए उन्होंने धूल, धक्का और धमाल आदि कुछ शब्द जोड़े थे और कहा था कि सब होते ही रहते हैं। आज यह भी कहा जा रहा है। दूसरी ओर हमारे माननीय राजस्व मन्त्री ने यह बतलाया और यह विश्वास जाहिर किया, मैं उनके शब्दों को जल्दी में नोट नहीं कर सका किन्तु यह आशा की थी कि अब क्षत्रिय महासभा और उनके अन्तर्गत जो लोग आते हैं वे लोग इस कानून के लागू करने में किसी प्रकार की अड़चनें नहीं डालें। एक ओर तो यह कहा जा रहा है कि हमारे कहने के मुताबिक सब कुछ हो गया और उन्हें सन्तोष है कि ३०० रिट एप्लीकेशन्स वापस ले ली गईं और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की अड़चनें पैदा नहीं की जानी चाहिये। इससे स्पष्ट प्रतित होता है कि इनको खुद को अपने समझौते पर सम्पूर्ण विश्वास नहीं है। वे चीजें जो उनके मन में भी शंका के रूप में हैं उन पर हमारा विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। जिस समझौते के ऊपर स्वयं सरकार को विश्वास नहीं उस समझौते के प्रति कैसे दूसरे लोग विश्वासपूर्वक कह सकते हैं? इसके अन्दर जो 'धूल, धक्का और धिक्कार" ये शब्द माननीय मुख्य मन्त्री ने कहे इसके साथ कुछ और जोड़ देना चाहता हूँ। इसके साथ धोखा और धत्ता शामिल ले लें, तो ये शब्द सम्पूर्णतया इस समझौते पर लागू हो जाते हैं। इस प्रस्ताव को वे मानने के लिये तैयार नहीं किन्तु समय बतायगा और साबित करेगा कि जो कुछ भी बातें कही गई थीं वे एक दम बहुतायत से समर्थन-प्राप्त थीं। यह बात भी कही गई कि हम इससे कुछ अधिक सुविधायें भी नहीं दे सकते, जितनी कि सुविधायें दी गई हैं। हमारा यह प्रस्ताव रखने का कदापि मतलब नहीं था कि हम ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्राप्त करने लिए आतुर हैं। इस प्रकार का जो कुछ मन में भाव है तो मैं यही निवेदन करूंगा कि उन्होंने हमें समझने की कोशिश नहीं की। हमने इस सिद्धान्त पर बात कही है कि राजस्थान क्षत्रिय महासभा समस्त भूमिदारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस बात के लिये संशोधन रखा है कि यह बिल जनमत की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय ताकि वे लोग जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ वे आकर अपनी बातें रख सकें। एक और माननीय मन्त्री कहते हैं कि किसानों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं हैं। जो बात हमारी ओर से कही जा रही है उसके लिये उनकी दलील है कि उस ओर

[श्री तनसिंह]

जितने भी आदमी बैठे हैं उनका सम्पर्क किसानों के साथ ज्यादा है बनिस्पत विरोधी पक्ष के। इसलिये इस ओर से (राज्य पक्ष की ओर से) जो कुछ बातें कही गई हैं सही हैं। लेकिन जब यह बातें जागीरदारों के विषय में आती हैं तो मैं समझ नहीं पाता कि जो व्यक्ति रात-दिन उनमें बैठने वाले हैं, उनसे हिलने मिलने वाले हैं वे उनका ज्यादा प्रतिनिधित्व करते है या वे लोग जो अपने आपको किसानों के ज्यादा काम करने वाले बताते हैं। इसलिये जब किसानों के प्रतिनिधित्व की बात पर कटाक्ष नहीं कर सकते तो हम भी यह कह सकते हैं कि हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व की जानकारी उनको नहीं जितनी इस ओर बैठने वालों को हो सकती है। यह जो कहा गया है कि सुविधायें बहुत दी गई हैं तो मैं खुद भी स्पष्ट रूप से यह मानता हूँ कि सुविधायें बहुत दी गईं। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे माननीय मित्र ने कहा कि हमने किसानों के हित की रक्षा की है; वे मानते हैं दूसरी ओर जो कम्पेनसेशन दिया जा रहा है वह ज्यादा है और दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि किसानों के हित की रक्षा की है, लेकिन मेरा यह कहना है कि उन्होंने जनता के पैसे को बड़ी उदारता के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ उन लोगों को दिया जिनके पास पहले से ही प्रचुर मात्रा में सम्पत्ति हैं, प्रचुर मात्रा में जीवन के साधन हैं। उनको जनता का पैसा इतनी बेरहमी से नहीं देना चाहिये था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि हम सुविधायें माँगने या बढ़ाने को नहीं कह रहे हैं किन्तु हम चाहते हैं कि राजपूतों के नाम को जो इसमें घसीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने उदारता की तो यह तो उनकी परम्परा के भी विरुद्ध है, उनकी (राजपूतों की) संस्कृति के भी विरुद्ध है। उन्होंने हमारे सामने माँगें रखीं, यह भी कोई राजपूतों के लिये शोभा नहीं। राजपूतों ने हमेशा त्याग करना सीखा है, अपने मुआवजे के अन्दर भी त्याग कर सकते हैं। अगर इस बात की सत्यता को परखना है, इसमें लेशमात्र भी सत्यता का विश्वास हो सके तो इसके लिये माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय......

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—अपने भाषण को ज्यादा लम्बा न बढ़ावें।

श्री तनसिंह—मैं अपना भाषण ज्यादा न बढ़ाता हुआ कुछ ऐसी बातें हैं, जो बड़े महत्व की हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज माननीय मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि हम धमकियों से डरते नहीं। एक ओर सदन के नेता यह कहते हैं कि इस समझौते के कारण एक बहुत बड़ा गृह युद्ध बच गया तो मैं इन दोनों बातों को समझ न सका। एक ओर तो गृह युद्ध की बातें कही जा रही हैं और दूसरी ओर यह कहते हैं कि हम धमकियों से डरते नहीं। इन बातों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई न कोई दोनों पक्ष में से गलती कर रहा है। या तो सरकार मानती है कि वह गलती पर थी; तो उनको गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर कोई गृह-युद्ध की धमकी देता है तो उसको स्वीकार न करना चाहिये। गृह-युद्ध तो वह शक्ति है जो शक्तिशाली है या किसी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा होता हो तो उसके सामने झुकना नहीं चाहिये, उसके चेलेन्ज को स्वीकार करना चाहिये। आज यदि जागीरदार ने इस प्रकार की चुनौती दी है तो हो सकता है कि कल दूसरी शक्तियाँ जो जागीरदारों से ज्यादा मार-धाड़ करने वाली हो, ज्यादा विध्वंसकारी

[श्री तनसिंह]

शक्तियां होंगी वे चुनौती देंगी। तो आपके कथनानुसार ऐसी परिस्थिति में भी आप ऐसी शक्तियों से गृह-युद्ध के भय से समझौता कर लेंगे ! मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तक का इतिहास हमें बताता है कि युद्ध करने की क्षमता और अन्याय करने की क्षमता थी किनमें, वह परिस्थितियां बता रही हैं। इसलिए जो लोग यह धमकी देते हैं कि गृह युद्ध छिड़ जायगा वे लोग आज तक कभी युद्ध नहीं कर सके जो लोग किसी भी परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते, जो हर परिस्थिति में अपने आपको समर्पित करते आये हैं वे कभी गृह-युद्ध नहीं कर सकते, वे कभी भी अपने से विरोधी परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सकते और न उनसे यह आशा रखनी चाहिये कि वे परिस्थितियों को बराबर सोच-समझ कर चलेंगे। पर जो लोग थोड़ी-सी परिस्थिति से डर जाने वाले हैं उनके लिये कम से कम जो अपने आपको योग्य शासक कहते हैं उनके लिये यह कहना कि उन्होंने सद्भावना पूर्ण वातावरण में समाप्त किया, समझ में न आने वाली चीज है, एक विडंबना भरी चीज है जो लोग हकीकत को आंकने से इतने डरते हैं उनसे कभी भी इस प्रकार की चीजों का सामना नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बताया कि वे साइकोलोजी जानते हैं, वे डाकुओं की मनोवृत्ति को जानते हैं। उनका कहना है कि अगर जागीरदारों को कुछ सुविधायें नहीं मिलें तो वे डाकू हो जायेंगे। लेकिन क्या वे लोग डाकू होंगे जो परिस्थितियों से बहुत डरते हैं, परिस्थितियों को बढ़ा-चढ़ाकर कह कर उससे फायदा हासिल करते हैं और कहते हैं कि हमको अमुक-अमुक सुविधायें नहीं मिलीं तो हम डाकू हो जायेंगे, सुविधायें नहीं मिलेंगी तो कम्युनिस्ट हो जायेंगे ? ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये और न वे इस प्रकार कर ही सकते हैं; जिसके लिये मुख्य मन्त्री ने यह बताया कि वे डाकुओं की साइकोलोजी तो बहुत जानते हैं, आपसी विरोध के कारण, छुट भाइयों के विरोध के कारण डाकू बनते हैं।

यह सद्भावना का वातावरण नहीं पर दुर्भावना का वातावरण बनाया जा रहा है और इसका श्रीगणेश भी हो गया। आपके उधर सद्भावना का समुद्र बह रहा हो तो आप जानें। मैं नहीं कह सकता कि आपमें कितनी सद्भावना बढ़ गई। पर इतना कहना चाहता हूँ कि इस ओर तो सद्भावना नहीं रही। आप डाकुओं की साइकोलोजी की बात करते हैं, डाकुओं की साइकोलोजी जानते हैं आप, पर इधर के लोगों की साइकोलोजी जान नहीं पाते। ऐसी साइकोलोजी जानने वालों से तो हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार के मुख्य मन्त्री जैसे योग्य पद पर रहने वाले व्यक्ति को तो इसका ज्ञान होना ही चाहिये।

इतना कहकर मैं निवेदन करूँगा कि मैंने जिस उसूल पर यह संशोधन रखा है उसका उसूल के द्वारा कोई भी विरोध नहीं किया गया, पर उसको बातों में उड़ाने का प्रयत्न किया गया। इसलिए निवेदन करूंगा कि जनता के हित की दृष्टि से ही यदि जनमत के लिए प्रसारित किया जावेगा तो बहुत से विरोधी पक्ष के बोलने वालों के लिए यह अच्छा होगा, साथ ही साथ जनता का हित देखने वालों के लिए भी अच्छा होगा। इस जनमत से ऐसी बातें भी सरकार के ध्यान में लाई जा सकती हैं, और ऐसे-ऐसे सुझाव भी दिये जा सकते हैं जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। सुविधाएँ जब मांगेंगे तो सरकारी पक्ष इस पर से यह एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इन सुविधाओं का मतलब हमेशा

[श्री तनसिंह]

केवल खुदकाश्त की जमीन माँगना ही है, पर वे यह एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई देना भी चाहता है या नहीं। यदि इसे जनमत के लिए प्रस्तुत करेंगे तो आशा के प्रतिकूल ऐसे भी सुझाव और ऐसी भी बातें मिलेंगी कि जिनको वे आजतक मानते नहीं रहे हैं। यदि सरकार की नीयत इस जागीरी प्रथा को समाप्त करने की है तो यह कानून मौजूद है जिसके द्वारा वह अपनी मंशा कार्यान्वित कर सकती है। पर इस बहाने को लेकर कि इसमें समय लगेगा, और पहले से ही काफी देर हो गई और अधिक देर इसमें हो जावेगी तो मेरा निवेदन करना यह है कि समय तो अब भी इसमें आपने ५७-५८ तक का रक्खा है। ऐसा प्रोवीजन इसमें है। इस समय तक यह प्रथा समाप्त होगी, यह बात इसमें दी गई है। तो इस प्रथा को समाप्त करने में अभी वैसे ही समय लगेगा और इसके लिए स्वयं पन्तजी ने भी भय जाहिर किया है कि इसमें काफी समय लगेगा। इसको देखते हुए मेरा सुझाव तो बहुत थोड़े समय का है कि इसको केवल ३१ अगस्त तक के लिए जनमत के लिए प्रसारित कर दें। इस समय को कम भी किया जा सकता है पर इसे जनमत के लिए प्रसारित करना आवश्यक है क्योंकि इसमें जिन प्रतिनिधियों का बोलबाला रहा है वे जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिये इसमें न वैधानिक और न नैतिक बल का ही आधार है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत सदन से कि वह मेरे इस संशोधन को एक मत होकर स्वीकार करें।

श्री सभापति—श्री हरिकृष्ण व्यास। आप ज्यादा समय न लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, (मैं) चन्द मिनिट लूंगा। सबसे पहले मैं यह चाहूँगा कि सदन के नेता और माननीय मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद दूं कि परसों की बहस के दौरान में और इतने महत्वपूर्ण कायदे के दौरान में उन्होंने बड़ी-बड़ी बातों की यहाँ खोज की। धन्यवाद की आवश्यकता इसलिए भी है कि जो कोटेशन्स माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यहाँ सदन के सामने पढ़कर सुनाये मेरा ख्याल है। I am going to use that very quotation which the Chief Minister had himself used और उस कोटेशन के आधार पर मैं यह राय प्रस्तुत करना चाहूँगा, माननीय चेयरमेन, कि जो इस कानून के जरिये वे रोक ला रहे हैं वह उनकी बात-चीत से कुछ भिन्न है। उसूल का प्रश्न है आज हमारे सामने और वह उसूल का प्रश्न यह है कि एक सामन्ती व्यवस्था काफी अरसे से, कई सैकड़ों वर्षों से राजस्थान में चलती आई है और अब उसे खत्म करना है, अब इसे राजस्थान की असल नीति में से हटाकर अलग करना है, अब इसे कैसे किया जावे यह उसूल का प्रश्न है और उसे अगर खत्म करना है तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी के कहने के मुताबिक और इस बिल के मेम्बर इन्चार्ज के कहने के मुताबिक इसका केवल एक ही तरीका है कि जो लोग इससे अफरूट हो जावेंगे, जो बेरोजगार हो जावेंगे या जिनके आजतक के आजीविका के जरिये उनके हाथ से छिन जावेंगे तो उनको कुछ न कुछ ऑल्टरनेटिव ओकुपेशन (alternative occupation) अथवा उनको पुनः रिहेबिलिटेट करने का मौका दिये बगैर हम एक इतनी बड़ी आर्थिक क्रान्ति नहीं ला सकते। इस उसूल की परिस्थापना उन्होंने हमारे सामने की है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस पर मैं यह कहना चाहूँगा माननीय चेयरमेन, कि यह बिल्कुल ठीक उसूल है लेकिन इसका पालन किया जावे तो। हम इसकी वास्तविकता देखें तो हमारे सामने यह बात नजर आवेगी कि राजस्थान में कितने जागीरदारों को, जिनका ताल्लुक इस बिल से होने वाला है उनमें से कोई अस्सी सैकड़ा ऐसे हैं कि जिनके बारे में अपने दिल पर हाथ रख कर राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी बतावें कि उनमें से कोई अपरूट (uproot) हो जावेगा। ८० प्रतिशत ऐसे जागीरदार हैं कि जिनके लिए वे यह नहीं कह सकते कि वे अपरूट हो जावेंगे। वे लोग, They are rolling in wealth. वे लोग सारे के सारे इतनी सदियों के पाशविक शोषण के जरिये इकट्ठी की गई धनराशियों के साधन अपने पास आज मौजूद रखते हैं। आप उनको रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं "You are carrying coal to Newcastle !" अगर यह बात है तो फिर जो उसूल की बात सरकार ने कही है वह सही नहीं है तो उससे ज्यादा सही कदम इस बिल में राजस्थान की सरकार ने यह उठाया है कि यदि यह दृष्टिकोण लिया जावे कि जो छोटे-छोटे भूस्वामी हैं, जिनके पास न तो ज्यादा जमीन है और न ही ज्यादा साधन हैं उनके लिए भी जो कोटेशन राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय ने तीन दिन पहले पढ़कर सुनाये थे उनके अनुसार उनको जमीन दी जावे, लेकिन कितनी ? दूसरे काश्तकारों के बराबर जमीन दी जावे। पर आप जरा छानबीन तो कीजिये। आप जरा पता तो लगाइये। आज हम इस बिल में प्रोवीजन कर रहे हैं कि यदि किसी जागीरदार का, किसी का उजर है तो पाँच-सो बीघा रख सकते हैं। यों तो ये दावा करते हैं राजस्थान की एक सामान्य जागीर का। क्या कोई दावा कर सकता है कि इतनी बड़ी जमीन खुदकाश्त के रूप में देना न्यायोचित बात होगी, किसी को यह बसाने की बात होगी ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ओन ए पोइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर,...

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे माननीय मित्र जरूरत से ज्यादा उतावले हो रहे हैं। मैं जो कह रहा था उसको पूरा सुन लेते तो इतनी परेशानी नहीं होती।

मैं कहता हूँ, राजस्थान के काश्तकार के पास एवरेज जमीन कितनी है ? जिस इलाके में एक जागीरदार पांच सौ एकड़ का मालिक बनकर रहना चाहता है उस इलाके के काश्तकार लाखों ऐसे होंगे जिनके पास पाँच-सात बीघा भी जमीन उपलब्ध नहीं होगी ?

यह तो न्यायोचित बात गिनी जाय तो फिर तो दुनिया में न्याय की परिभाषा तब्दील करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा यही कहना है, माननीय चेयरमेन, कि अगर आप सही मायने में भूमि-सुधार करना चाहते हैं तो २ उसूल जो मैंने प्रस्ताव किये हैं उन दो उसूलों को लागू किया जाय।

उन दो उसूलों में से पहला उसूल तो यह है कि यदि वे खेती करना चाहें तो उनको दूसरे काश्तकारों के बराबर जमीन दें, जैसा कि अलवर और भरतपुर में शरणार्थियों को १६ बीघा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जमीन दी जाती है; तो वहाँ के जागीरदारों को भी १६ बीघा जमीन देकर बकाया जमीन लौटाई जाय और भूमिहीन किसानों में उस जमीन को बांटा जाय और उनको १६ बीघा जमीन दी जाय जैसी कि दूसरे काश्तकारों को जमीन दी जाती है और कहा जाय कि खेती करो और खेती के जरिये से अपनी जीविका का उपार्जन किया जाय। जिनको यह जमीन नहीं मिले तो बड़े बड़े जागीरदारों ने जो खुदकाश्त की जमीन दर्ज करा रखी हैं उसको जब्त किया जाय और वह बाँट दी जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। उससे न तो हरजाने का प्रश्न उठेगा और न बेदखली का सवाल आयेगा।

दूसरी बात जो कहूँगा कि राजस्व मन्त्रीजी ने यह कहा कि यहां लोगों ने इस बिल के अन्दर कई चीजें नहीं हैं उनको भी मानकर, पढ़कर कहने की कोशिश की है। जब हम एमेंडमेंट का जिक्र करने जायेंगे तब पूरी तफसील में जाने का मौका आयेगा। पर मेरी समझ में नहीं आया माननीय चेयरमेन, कि आखिर राजस्थान सरकार को कहा क्या जाय? पहले एक मोशन में कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। मैं इसको दशानन सरकार कहना चाहता हूँ। इसके दस मुँह हैं और वह दस मुँह से १० बातें बोलती है। हकीकत में यह जो कह रहा हूँ तो सरकार कई मायनों में सही उतरेगी और सही इसलिए उतरेगी कि २ दिन पहले भूदान के सिलसिले में जब बहस हो रही थी तो मेरे माननीय मित्र राजस्व मन्त्रीजी फरमा रहे थे कि राजस्थान में हम भूमि के सम्बन्ध में क्रान्ति लाना चाहते हैं। राजस्थान में भू-स्वामियों के बारे में, सीलिंग बनाने के बारे में योजना बनाना चाहते हैं। हम मुकर्रर करना चाहते हैं कि सीलिंग से ज्यादा जमीन किसी के पास होगी तो वह जमीन लेकर भूमिहीन किसानों में वितरण करने की योजना बना रहे है। सरकार आज नहीं तो कल सीलिंग मुकर्रर करने जा रही है। जो सरकार इस उसूल को मनाने जा रही है कि सीलिंग से ज्यादा जमीन पर किसी का अधिकार नहीं है, वही सरकार आज एक कानून पास कर रही है है और यह कह रही है कि पाँच सौ एकड़ तक किसी के पास खुदकाश्त है तो वह तो रहेगी ही, अगर नहीं है कलेक्टर को अर्ज करने वह खुदकाश्त प्राप्त कर लेगा। यह असली स्वरूप में एक कदम राजस्थान सरकार उठा रही है। अभी यहाँ कहा गया है कि बंजर जमीन पड़ी हुई है या दूसरी जमीन जिस पर खेती नहीं हो रही है लेकिन खेती करने के लायक है उस जमीन को खुद काश्त में देवेंगे, जो जमीन किसान छोड़कर चला गया है उस जमीन को खुदकाश्त में देंगे। जो जमीन काश्तकार अपनी मरजी से दे देगा उस जमीन को खुदकाश्त में दे देंगे। आज जिस प्रकार का धोखे का वातावरण फैला हुआ है, देहात में जिन लोगों का काश्तकारों से सम्बन्ध हैं वे इस बात के साक्षी हैं कि आज किसी भी काश्तकार को धोखे के जरिये डरा धमकाकर अगूंठा करा लेना कोई कठिन बात नहीं है, और यह कराये भी जाता है। ऐसे सैकड़ों अगूंठे कराये जाने का यह मार्ग हम खोल दे रहे हैं कि इस प्रकार जो जमीन काश्तकारों ने खुद सरेन्डर कर दी है यह खुदकाश्त के रूप में दी जा सकती है, तो उसका तात्पर्य यह होगा कि अर्जियों के सैकड़ों गट्ठर के गट्ठर, पुलिन्दे के पुलिन्दे अगूठे किये हुए आयेंगे। वहाँ धोखे से उन पर दस्तखत करायेंगे या जबरदस्ती दस्तखत कर सकेंगे। इस प्रकार आज जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है वे उस जमीन से हटाये जाने वाले हैं, वह जमीन उनकी छीनी जाने वाली है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तीसरी एक और चीज है, माननीय सभापति, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। उसका सम्बन्ध इस बात से है। उसका ताल्लुक है परसों हमने जो बहस की है, उस बहस के जवाब में जो परसों माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो यहाँ तकरीर की है सबने एक बात कही कि हमें जितना वाजिब समझा है उतना मुआवजा दिया है, शायद कुछ ज्यादा हो गया हो, शायद कुछ कम हो गया हो। किसी ने यह नहीं बतलाया कि आज की आर्थिक हालत को देखते हुए क्या यह वाजिब होगा? किसी ने यह नही बतलाया कि ३० करोड़ का मुआवजा राजस्थान सरकार देने का वायदा करेगी तो कल सालाना ढाई करोड़ कहाँ से लायेगी। रेवेन्यू से तो इतनी आमदनी नहीं होने वाली है, तो पैसा कहाँ से पैदा किया जायगा, जो इस बिल के पास करने के बाद आज नहीं तो कल, अगले वर्ष राजस्थान के वित्त मन्त्री हमारे समाने आयेंगे और कहेंगे कि हम ने तीस करोड़ रुपया देने का मुआवजा कर लिया है, सरकार ने जो वायदा कर लिया है इसलिए पैसा देना पड़ेगा। राज्य का खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं हो, कल्याणकारी राज्य चलाने के लिए पैसा नहीं हो और यह नया बोझा होगा, जो उठाना पड़ेगा और यह रेग्युलरली न्याय के नाम पर तो कम से कम नहीं चलाया जाय। एक ओर तो जिन लोगों ने कुछ जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा जमा रखा था उन जमीनों को काश्तकारों के राहत के लिए तब्दील कर रहे हैं और उसके एवज में करोड़ों रुपये मुआवजे के देने का कबूल कर रहे हैं और दूसरी ओर जिन लोगों को लिखित आश्वासन दिया गया था, जिन लोगों को गंगानगर की भूमि पर बसाया गया था, जिन लोगों को यह कहा गया था कि आप यहाँ आओ और खेती करो, इस इलाके को समृद्धिशाली बनाओ। उनसे कुछ वायदे किये गये थे। उनके वायदों को आप भूले ही नहीं, बल्कि उनसे ८ या १० लाख रुपये ज्यादा वसूल करने के लिए राजस्थान सरकार की वहाँ पुलिस पड़ी है, फौज पड़ी है, आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी पड़ी है। उन काश्तकारों के घर कुर्क किये जायेंगे, उनको २०)-२०) और १००)-१००) रु० के लिए तंग किया जायगा; किसानो के घरों में घुसकर उनके दरवाजे तोड़े जायेंगे, उनकी औरतों की बेइज्जती की जायगी। वहाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं, राजस्थान सरकार वहां आतंक का नंगा नाच कर रही है और दूसरी ओर थोड़े से भूस्वामियों को खुश करने के लिए जिन्होंने खुद जमीन लेकर रख ली हैं, वायदा कर रही है। राजस्थान सरकार आठ या १० लाख के लिए उन किसानों को कुचल देगी और २० करोड़ देने के लिए समझौता करेगी। अगर यह न्याय की बात है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसूलन आप मुझे बतायें कि यह कहाँ का न्याय है? जिस न्याय की आड़ में २ लाख किसानों को दबाकर ८ लाख रुपया वसूल कर लें, उनके ऊपर आतंक का नंगा नाच किया जा सके। दूसरी ओर जिन लोगों का कोई अधिकार नहीं है, मुआवजा पाने का हक नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन हैं, जिनके पास आज सब परिस्थितियाँ हैं कि वे सरकार के मुआवजे का दुरुपयोग करने वाले हैं। कुछ थोड़े से लोग हैं जिनकी हालत कमजोर है उनको जमीनें दी जांय और वे जमीनें भी बड़े बड़े जागीरदारों के पास सीलिंग से ज्यादा जमीनें हैं उन जमीनों में से दी जाय। इस बात को अगर आप मानते हैं तो आपको बोझ भी कम हो सकता है और भूमि-सुधार का कार्य भी पूरा हो सकता है। मेरा खयाल है कि इन चीजों का संतोषप्रद उत्तर मेरे माननीय मित्र, राजस्व मन्त्रीजी ने नहीं दिया और जहाँ तक माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ताल्लुक है उन्होंने तो जैसे कानूनी दलील देने के बजाय या उसूल की बात

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कहने के बजाय सदन को एन्टर्टेनमेन्ट का एक मसाला प्रस्तुत कर दिया और वह "धूम धिक्कार और धचक्का" और न मालूम क्या क्या अन्य प्रकार की चीजें उसमें कहीं। उनके लिए इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है कि दो शब्द और जोड़ दूँ और वह दो शब्द हैं धोखा और धौंस। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि राजस्थान सरकार के दो हाथ हैं, लेकिन उन दो हाथों की दो तरकीबों के बारे में चुप रह गये। और वह दो हाथ और दो तरकीबें हैं धोखा और धौंस। धोखे की बात इस प्रकार है कि एक मित्र ने जिनकी मुकाबले में मदद रही उन्होंने कहा कि हम कोई अन्याय नहीं करेंगे, खुदकाश्त के नाम बेदखली नहीं होगी, किसानों के हकों को कुचलने नहीं देंगे। उनको थोड़ा सा मुआवजा दे दिया है, लेकिन उससे राजस्थान की एक बड़ी समस्या का हल हो जायगी। दूसरी ओर "धौंस" देने वाले लोगों से हमने समझौता किया और कहते हैं कि हम अपनी बात पर कायम हैं। अच्छे लोगों ने मिलकर समझौता किया है, इस बात में जो लोग गड़बड़ करते हैं सरकार उनसे मुकाबला करेगी। मतलब यह है कि किसानों को धमकायेगी, काश्तकारों को फुसलायेगी कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि दरअसल में मौका अगर आयेगा मुआवजा देने का तो जैसे कि ८ लाख वसूल करने के लिए गंगानगर की यह हालत की गई है तो जब ढाई करोड़ रुपया राज्यकोष से देने की नौबत आयेगी तब एक गंगानगर नहीं सारा राजस्थान ही गंगानगर का इलाका बन जायगा कि जिसमें......

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

चन्द मिनिट। माननीय सभापति २-३ मिनिट।

तो मैं यह कह रहा था कि एक ओर राजस्थान की भूमि सारी की सारी गंगानगर बनेगा और उसका असर आज ही नजारा सामने आ रहा है। मैं अन्त में ज्यादा समय इस सदन का नहीं लेता हुआ एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ और वह यह है कि हम मानते हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिये, चाहे इसमें कितनी ही खामियें हो, चाहे उसूलन कितनी ही कमजोरियाँ हो, चाहे रद्दोबदल कितना ही आवश्यक हो लेकिन इसको जल्दी से जल्दी पास कराने के लिए जहाँ तक मेरा और मेरे सहयोगियों का ताल्लुक है, हम तैयार रहेंगे। आप चिन्ता न करें मेरे कई सहयोगी हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और कार्य करते ही जा रहे हैं, इसलिए आपको उनके लिये घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लगातार बढ़ने वाले सहयोगी हैं। सिवाय ट्रेजरी बेचेज के मेरा ख्याल है मेरे बहुत से सहयोगी हैं। मैं चेलेंज देकर कहता हूँ कि आप पार्टी की तरफ से ह्विपइश्यू नहीं करें और इस पर वोट ले लें तो आपको मालूम हो जायगा कि किसानों की तरफ वोट देनेवाले आप की पार्टी के कितने लोग हैं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज यह सही है और हम इसे मानने को तैयार हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाय। इसलिए सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का संशोधन मैंने जो दिया था उसको मैं प्रेस नहीं करना चाहता। लेकिन आज जो राजस्थान सरकार दूसरे पक्षवालों से आशा करती है कि सहयोग करें, इसे पास कराने के लिए तो चाहे अगकिचरा, पोचा, ढीला कैसा भी यह बिल क्यों न हो लेकिन इस प्रकार के बिल को पास होने के बाद जल्दी से जल्दी लागू किया जायगा, इसके लिए राजस्थान सरकार लोगों को पूरा पूरा सहयोग देगी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ऐसी मैं आशा करता हूँ। यह आशा कहाँ तक फलीभूत होगी, इसमें शंका रखते हुए सिलेक्ट कमेटी का जो मेरा संशोधन है उसे मैं प्रेस नहीं करना चाहता और वापिस लेने के लिए इजाजत चाहता हूँ।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

राजा श्री मानसिंह—I have been requested to withdraw my motion on the amendment that the Bill be referred to a Select Committee. I would like to say, Sir, that it is very important and that all important measures should be referred to Select Committees and passed through that stage so that legislation could be considered calmly and impartially without any hurry. I have already explained, Sir, that more than 20 crores of rupees over a number of years will be involved. Lacs of people will be affected. What more could be more important than this ? Regarding the Amendment Bill, Sir, the original Act—The Jagir Resumption Act—had only 48 clauses. The new Amendment that is in the form of a Bill has 35 clauses and amendments numbering 84 have been moved uptodate. I don't know yet, Sir, by the time the Bill is taken up clause by clause how many more hundreds of amendments may be moved. It is obvious, Sir, that the will of the House is in the opinion that this Bill should be considred carefully and that the amendment Bill as proposed is not in order. It is obvious also, Sir, that the majority feel that this Bill should be referred to a Select Committee. If, Sir, we pass this Bill without considering it very carefully there is no doubt that we will be building a very unhealthy convention. The only reason that I can see why this Bill should not be referred to a Select Committee is that there are certain Jagirdars within this House who are against it.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट सर्कुलेशन फोर पब्लिक ओपिनियन के लिये श्री तनसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

दूसरा संशोधन राजा मानसिंहजी का है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। क्या सदन को यह प्रस्ताव स्वीकृत है ?

[श्री उपाध्यक्ष]

(मत-दान के पश्चात्)

क्या ना पक्ष जीता ?

राजा श्री मानसिंह—Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—Do you want Division ?

राजा श्री मानसिंह—Yes.

(विभाजन घण्टी बजने के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिये राजा श्री मानसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ?

राजा श्री मानसिंह—Ayes have it, Sir. I want division.

श्री उपाध्यक्ष—आप डिविजन चाहते हैं तो एज़ वाले एज़ की लोबी में जावें और नोज़ वाले नोज़ की लोबी में जावें।

(विभाजन के पश्चात्)

हाँ पक्ष में ६ वोटस।

ना पक्ष में ५७ वोटस।

("शेम शेम" की आवाज)

ना पक्ष जीता। संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

राजा श्री मानसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, I move that the votes of all the jagirdar members of this House be disallowed at every stage since they have a direct and personal interest in passing the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Amendment) Bill, 1954. I have, Sir, a list of members who

[राजा श्री मानसिंह]

have jagirs, many of these members who have not taken part in the debate have expressed their vocal opinion before the division. Under Rule 99, Sir, disqualification is that a member may not vote on any question in which he has a direct pecuniary interest. If he votes on such a question the vote may, on a substantive motion carried by the Assembly, be disallowed. In the explanation it goes on to say that the interest contemplated in this rule shall be immediate and personal, and not remote or general. It is quite clear, Sir—

श्री उपाध्यक्ष—Who has voted ? Do you know anybody ?

राजा श्री मानसिंह—Four Members; I have given names of four members who have voted in the Noes Lobby and also other Members who took part in the vocal division. To continue, Sir, the literature circulated to us by the Government of Rajasthan in connection with the Reforms in the Jagirdari system—on page 15, Sir, it says that the main points of controversy between the Rajasthan Kshatriya Mahasabha and the Government relate to (1)—...It is quite clear, Sir, that the Amendment has been sponsored by the Government after negotiations with a particular body. It further goes on to say on page 33 that the Rajasthan Kshatriya Mahasabha with which is incorporated the Rajasthan Jagirdars Association is the sole representative of the landed interest in the State. I would like to make it clear that the Jagirdars of Rajasthan-big or small-are members of either Rajasthan Jagirdars Association or the Rajasthan Kshatriya Mahasabha and, therefore, the negotiations between the Government and the two politicsl bodies are only of a personal and direct interest and not of general interest. Because, Sir, a few Jagirdars are also affected by the decisions of this House together with those who took part in the proceedings of this House, it is not a matter of general interest in any way whatsoever.

The Kshatriya Mahasabha have had negotiations with the Rajasthan Government; some members of this House attended negotiations as Members of the Kshatriya Mahasabha. It is quite obvious, Sir, that in the objects and reasons of this Amendment Bill it is stated that the Bill is intended to give effect to the agreement reached between the Government and the Jagirdars.

श्री श्रीमानसिंह—On a point of order, Sir, is the Hon'ble Member giving a speech on the Bill itself ?

राजा श्री मानसिंह—I beg to request the Hon'ble Member to pay attention to the proceedings clearly. I have moved a motion and I am speaking on that motion.

श्री श्रीमानसिंह—On a point of order, Sir, the Hon'ble Member has not read the rules correctly. As far as compensation and khudkast are concerned and not as regards voting on the general principles that they should be debarred. When the issue of compensation and Khudkasht comes then they can be debarred from voting because Jagir Resumption is clearly against their interest. Only when the question of compensation and Khudkasht comes then only they can be debarred on account of pecuniary interest and not otherwise when the amendment for a Select Committee is before the House. Therefore, the Hon'ble Member has not read fully the rule regarding the pecuniary interest.

राजा श्री मानसिंह—My motion was that the Jagirdars should be disallowed at every stage and as such I may continue to explain my motion.

It is quite obvious from the objects and reasons of the Amendment Bill that the Government have come into agreement with Jagirdars. It is quite obvious that certain jagirdars who are members of the Kshatriya Maha Sabha or the Rajasthan Jagirdars Association took part in the negotiations. As such, Sir, I move that jagirdar Members should be debarred from voting at every stage of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष—Though Jagirdars have a pecuniary interest but as mentioned in the EXPLANATION it is general, but still we may disallow them from voting. (राजा श्री मानसिंह को संकेत करते हुए) How many have voted ?

राजा श्री मानसिंह—I said at every stage. This is one stage.

श्री उपाध्यक्ष—Now, at present we are discussing the general principles of the Bill, whether jagirs should be abolished and with reference to this that they supported but when the special clause as has been pointed out by some other member comes up in which they will be personally concerned that they may be debarred. But this is against their interest that jagirs should be abolished. What is the view of the House ?

राजा श्री मानसिंह—On a point of order, Sir, the question of jagirs being abolished does not arise, that is in the parent Act.

श्री उपाध्यक्ष—That is not in their interest.

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Deputy Speaker, Sir, Rule 99 reads as such ....

श्री उपाध्यक्ष—Just quote.

श्री मथुरादास माथुर—Yes. My submission is that this section has been kept in the Rules of Business with the purpose that if a man who has an interest or a pecuniary interest and he votes in favour of that interest, in that case the opinion that the vote carries in the House definitely gets prejudiced and therefore it should not be allowed. Supposing a Jagirdar Member votes for compensation and he says it should be given 20 times, then in that case he should be disallowed from voting. But when the question is that jagirs be abolished and if he votes in favour of that, he votes against his own interest. If the Jagirdars or any member representing that class votes against his interest then in that case rule 99 which has been just quoted does not debar him from voting. Because if I vote my vote is not prejudiced in the opinion of the House, in the interest of the jagirdars and therefore this rule 99 should not apply to me. Similarly No. 1, if he votes against the interest, he should not be debarred; No. 2; if we consider in the literal sense of the word then still rule 99 does not convey this sense that he should be disallowed at every stage. Wherever his pecuniary interest comes in, he should be disallowed. At this stage the voting regarding the general discussions on principles- the principle involving that the jagirs be abolished, is not effected by Rule 99. Now if anybody has voted, the question being that the matter be referred to a Select Committee, that the matter should not be referred, it must be expedited; he has voted against his pecuniary interest. When the question of khudkast comes in which is a matter concerning him or the question of compensation comes in, he may be debarred from voting. Whatever the views advanced by my learned friend from Bharatpur may be, it should not be taken as such. This is what I have referred to you, Sir.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, representing a particular class in the Opposition which will be affected by this Bill, I must categorically state that the interpretation put in by Shri Mathura Das Mathur is correct. If you read Rule 99 carefully, as Shri Mathur has just put in, we are taking part in this Bill which is against our pecuniary interests in the first instance. I will further point out that Shri Mathur feels that where the question of compensation comes in, then some of the members who are interested may be debarred from voting Nothing can debar us of our right. The right is there. The Jagirs are of much higher value and under the Constitution if the property i taken some compensation, which in this case is quite inadequate looking to the full property taken, must be paid and if any member votes, I do not think that he has any pecuniary or immediate interests. Even in that case, those members interested in this at every stage will put their views. The right exists at every stage to speak, because even in regard to compensation, khudkasht land, etc

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

the value of which is less than the original property and therefore we do not stand to gain by taking part in this Bill.

श्री वेदपाल त्यागी— also want to express my views on the interpretation of Rule 99. The rule is very clear. It does not accept any exception which Shri Mathura Das Mathur has imported therein. The rule says that a member may not vote on any question in which he has a direct pecuniary interest. It does not debar a Member from voting only when he is voting against or in pecuniary interests. The only question for consideration is whether he has any pecuniary interest in that question, and if he has, then he is debarred from voting. Therefore, I request Mr. Deputy Speaker, as my Hon'ble friend suggested that my friend Shri Jaswant Singh and his friends would refrain from voting when the question of voting comes in.

The question is only of right. Is there any right to vote on a question where pecuniary interests are involved. I would say most respectfully that the abolition of Jagirs itself is a thing in which the question of pecuniary interests is involved. Therefore, when the question of paying compensation or of Khudkasht is discussed on the floor of the House, they should be debarred from voting because their interests are involved it that question.

राजा श्री मानसिंह—Sir, I would like to make one more request. It has been voiced on the floor of the House that the Jagirdars will have to surrender their Jagirs and it will go against their interests. I would like to remind the House that the Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952, has already been passed and as such no jagirs exist. Whether the Government enforc that or not, it is a different matter. But the Statement of objects & Reasons of this Bill which is before the House clearly says that the Government have after a careful consideration agreeed to liberalise the provisions of this Act. It means, Sir, every such jagirdar as a member of the particular class or a member of a body like the Khshatriya Mahasabha has taken part in the negotiations with the Government, and thus stands to gain pecuniary interests.

श्री उपाध्यक्ष—My interpretation is that now when there is a voting on the general principles and against their interests I do not see any reason that they should be disallowed. But on those clauses where they are interested by way of Khudkasht or compensatson they may not vote for it, "for" i. e. to get something more, and if they abstain from voting in this that will be proper. So far as the present voting is concerned, I have given this ruling.

[श्री उपाध्यक्ष]

Now, that part is finished. Now we take Clause 2 of the Amendment Act.

(विचार-विमर्श के पश्चात्)

Now the question is that the Bill, the Amendment Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The Bill is taken into consideration. There are a number of amendments. Now, as regards the amendments, some are common and I will request the Members that when one Member moves some motion or amendment which has the same meaning or same ideas, others will then speak for that, to support it.

Shri Vedpal Tyagi. Amendment to Clause 2.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, इसके पहले कि अमेंडमेंट शुरू किये जायं मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन क्लॉज़ेज़ के सिलसिले में अमेंडमेंट्स रखे गये हैं उनमें से एक-एक अमेंडमेंट को लिया जावे, उसके पश्चात् उस पर बहस की जावे ताकि हर एक मेम्बर अपने-अपने संशोधन पर सदन के सामने अपनी राय रख सकें। इससे हर एक मेम्बर को यह मौका रहेगा कि वह क्या-क्या राय किस-किस अमेंडमेंट के सिलसिले में रखता है, वह सदन के सामने प्रगट करे। इसलिये मेरा निवेदन है कि हर अमेंडमेंट को अलग-अलग लिया जावे। अगर सब अमेंडमेंट्स एक साथ ले लिये गये तो एक सदस्य जो बोलेगा उस अमेंडमेंट पर तो दूसरे अमेंडमेंट पर दूसरे सदस्य की क्या राय है यह भली-भांति नहीं जान सकेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूँगा कि हर एक अमेंडमेंट को अलग से लिया जाय ताकि हर सदस्य सदन के सामने अच्छी तरह से राय पेश कर सके।

श्री उपाध्यक्ष—Yes, Shri Vedpal Tyagi.

श्री वेदपाल त्यागी—उपाध्यक्ष महोदय, खुदकाश्त की जो डेफिनिशन है उसमें मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है.

"Part (i) of sub-clause (ii) of Clause 2 be deleted."

खुदकाश्त की परिभाषा जो अमेन्डिग बिल में दी गई है वह इस प्रकार है :

" 'Khudkasht' means any land cultivated personally by a Jagirdar and includes-

(i) any land recorded as Khudkasht, Sir, or Hawala in revenue records; and.

[श्री वेदपाल त्यागी]

(ii) any land allotted to a jagirdar as Khudkasht under Chapter IV."

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरा यह निवेदन करना है कि १९५२ में जो प्रीन्सिपल एक्ट पास हुआ था उसके बाद जागीरदारों ने हाईकोर्ट में रिटें की थीं, उसके कारण वह एक्ट कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस बीच में उनको काफी समय मिल गया इसलिये जो काफी जमीन किसानों के पास थी, जिन पर काश्तकार पीढ़ियों से काश्त कर रहा था उनको लेकर उन्होंने वे अपने हवाले में दर्ज कर लीं।

दूसरी बात यह है, जिसकी तरफ मैं आपका तवज्जुह दिलाना चाहता हूँ कि अब तक जागीरी गांवों में जो लेन्ड रेकर्ड रखी जाती है जागीरदार तैयार करते हैं इसलिये यह उनके अख्त्यार की बात थी कि किसी भी जमीन को चाहे जो कोई भी काश्त करता हो उनको अपने हवाले में खुदकाश्त में दर्ज कर ले। ऐसी हालत में जब कि जागीरदारों के पास में अपने खुद के लेन्ड रेकर्ड हैं और उन्हें इस बीच काफी समय मिल गया इसलिये काफी लोगों को बेदखल किया गया इसलिये इस प्रकार का प्रोवीजन रखना कि जो सिर्फ रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज है उसे खुदकाश्त मान लिया जाय, यह ठीक नहीं होगा। यह एक ऐसी चीज है जिससे हजारों काश्तकारों के हकों पर आघात होगा और काफी नुक्सान होगा उन काश्तकारों को जो पीढ़ियों से काश्त करते आ रहे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि लेन्ड रेकर्ड में किस तरह से दर्ज है, जिनको खुदकाश्त के हक प्राप्त हो गये हैं इस परिभाषा से खत्म हो जायेंगे। खुदकाश्त की जो परिभाषा की गई है वह भी जमीन शामिल रहेगी जो जागीरदार खुदकाश्त करता है। इसलिये जागीरदार को चेपटर ४ के अनुसार जमीन दी जाय।

इसलिये मेरा निवेदन है कि पार्ट (१) ओफ सब क्लॉज़ (२) ओफ क्लॉज़ २ डिलीट कर दिया जाय। "Part (i) of sub-clause (ii) of clause 2 be deleted."

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेंडमेंट इस बिल के क्लॉज़ २ में रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूँ और मैं हाउस से निवेदन करता हूँ कि इस अमेंडमेंट को पास न किया जाय। जैसा की सेक्शन ओरीजनल बिल में था वह वैसा का वैसा रखा जाय। इसका कारण यह है कि पहले जो चीज रखी गई थी बड़े सुन्दर ढंग से और सोच-समझ कर रखी गई थी, वह वास्तव में खुदकाश्त की अच्छी डेफिनिशन थी जिसमें यह लिखा गया है "Khudkasht means any land cultivated personally by a Jagirdar."

श्री जवानसिंह—On a point of order, Sir, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं क्या इन्होंने कोई अमेंडमेंट दिया है?

श्री गोपीलाल यादव—इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रूल्स को आप समझ लें तो यह बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं अगर अमेंडमेंट दिये ही रूल्स के मुताबिक

[श्री गोपीलाल यादव]

अपनी राय व्यक्त कर सकता हूँ। There is an amendment and I can oppose that amendment outright. मैं हाउस के सामने प्रेस करना चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट सेक्शन दो में गवर्नमेंट की तरफ से आया है उससे जनता को नुक्सान होने वाला है इसलिये इस अमेंडमेंट को पास न किया जाय, इसलिये अमेंडमेंट रखने की जरूरत नहीं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पर्सनल कल्टीवेशन में जो जमीन हो वह खुद काश्त समझी जाय, यह जो रखा गया था प्रीन्सिपल एक्ट में वह ठीक है। पर्सनल कल्टीवेशन में वह भी जमीन आ जाती है जो जमीन अपने अधीन कोई मुलाजिम रखकर काश्त करवाता है या किसी की मदद बगैर से काश्त करता है वह भी पर्सनल कल्टीवेशन में शामिल है। ऐसी सूरत में खुदकाश्त के अन्दर ऐसी चीज बढ़ा देना :

"Any land recorded as Khudkasht, Sir, or hawala in revenue records;"

इसके बाद "any land allotted to a jagirdar as Khudkasht under Chapter तो यह खुदकाश्त की डेफिनिशन नहीं। गवर्नमेंट अलोट करेगी, जागीरदार को जो हक देना है वह देगी। जो कुछ भी इसके अन्दर रेकर्डेड है रेकर्ड के अन्दर ऐसी जमीन है जो जागीरदार जोतता या बोता नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हजारों ऐसे काश्तकार हैं जिनके रेकर्ड में नाम दर्ज हैं। अगर इसको पास कर दिया गया तो नतीजा यह होगा कि हर काश्तकार को हक नहीं रहेगा। जैसा कि मेरे मित्र सुखाड़िया ने कहा कि हम जहां काश्तकारों के रेकर्डेड राइट्स को मानते हैं तो फिर लेन्ड लोर्ड्स को क्यों न मानें ? इसी तरह से लेन्ड लोर्ड्स के राइट्स को मानिये; अगर लेन्ड लोर्ड्स के राइट्स खुदकाश्त में दर्ज हैं और उस जमीन को बोया और जोता है; 'खुदकाश्त' एक खास टर्म है। इसके अन्तर्गत कोई भी जमीन जो किसान बीस साल से बोता और जोतता आ रहा है और जिस जमीन को खुदकाश्त किया है, किन-किन काश्तकारों ने क्या-क्या बटाई दी आदि सब उसके पास रहता है। ऐसी सूरत में रेकर्ड को देखकर जांच-पड़ताल करके खुदकाश्त पर्सनल कल्टीवेशन में जो भूमि है वही इसमें रहने दी जाय। अगर इस तरह से नहीं है तो खुदकाश्त में देना गलती होगी, इससे किसानों को नुक्सान होगा। मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जो प्रिन्सिपल एक्ट में जो कुछ रखा गया है वह ठीक सोच-समझ कर रखा गया है उसमें किसी तरह से निगोशियेन्स का कोई असर नहीं था और न खास तौर से किसी रियायत का भी असर था। पहले हमारे दिमाग साउन्ड नहीं थे, अब ज्यादा अच्छे हो गये; यह मैं नहीं मानता। अब जरा गड़बड़ जरूर हो गयी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले जो डेफिनिशन थी वही रहने दी जाय।

श्री मथुरादास माथुर—My amendment is very clear :—

"In clause 2, sub-clause (i) the word 'a' occurring before 'Commissioner of Khudkasht land' shall be substituted by the word 'the'."

It is very simple.

Page No.69

श्री उपाध्यक्ष—It is very clear. I think the House gives permission for it.

(सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने स्वीकृति दी।)

रावत श्री शम्भूसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, I gave my amendments to the office. The other amendments have been circulated but the amendment which I gave to Section 2 has not yet been received.

श्री उपाध्यक्ष—So you have to speak on this ?

रावत श्री शम्भूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चार अमेंडमेंन्ट्स भेजे थे, उनमें से दो ही दिये गये हैं किन्तु मेरे अमेंडमेंट की कॉपी मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे जो याद है उसके अनुसार क्लॉज़ २ के सब क्लॉज़ (१) में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है......

श्री उपाध्यक्ष—"At the end of sub-clause (ii) insert the following :—'(iii) lands other than recorded as Khudkasht but in use and occupied by the Jagirdar'."

रावत श्री शम्भूसिंह—Yes, Sir, that is the amendment.

इसका तात्पर्य यह है कि खुदकाश्त के जरिये जो जमीन होगी इसमें आसानी हो जायगी। मगर ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो जागीरदारों के पास है और जागीरदार उनको बो रहे हैं, उनका उपयोग ले रहे हैं। मगर किसी वजह से वह सेटलमेंट में दर्ज नहीं हो सकी है और बहुत सी ऐसी भी जमीन है जो खुदकाश्त होने के बाद जागीरदारों के पज़ेशन में आई है। जब निगोशियेशन्स हुई थीं तो उसमें क्षत्रिय महासभा ने यह शर्त रखी थी कि ऐसी जमीन जो खुदकाश्त में है, जिस पर एक्चुअल पज़ेशन (actual possesion) है और बिला नाम दर्ज है उसको भी जागीरदार के नाम खुदकाश्त में दर्ज कर दिया जाय, ऐसा गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया था। ऐसी जमीन पर जिस पर जागीरदार का एक्चुअल पज़ेशन है और जो बिला नाम के दर्ज है और जो खुदकाश्त में नहीं आ पाई है वह जमीन को भी उन्हें दे दी जाय। गवर्नमेंट को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आशा है गवर्नमेंट इसको स्वीकर कर लेगी।

तो इसके बाद में मेरा यह अमेंडमेंट है कि "lands which are occupied by Jagirdars and which are in use of Jagirdars should be treated as Khudkasht." तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेंडमेंट को प्रस्तुत करते हुए इस बात पर जोर देता हूँ कि वे जागीरदार एक्चुअल पोजीशन में हैं और महज इस बात से कि रिकार्ड में नहीं है मगर बाद में इम्प्रूवमेन्ट किया है तो वह खुद काश्त में शुमार होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को अपील करता हूँ कि मेरे इस अमेंडमेंट को एक मत से स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २ में जो अमेन्डमेन्ट मैंने प्रोपोज किया है वह वैसे तो शाब्दिक ही है पर बहुत महत्व का है मौजूदा सूरत में। "any land recorded as Khudkasht, Sir, or hawala in revenue records" क्लॉज़ २ सब क्लॉज़ (१) में खुदकाश्त की डेफिनिशन में "any land recorded as Khudkasht, Sir, or hawala in revenue records" इस रेवेन्यू रेकॉर्ड के बजाय में मैं जो तरमीम चाहता हूँ वह यह है कि इन शब्दों के बजाय "सेटलमेन्ट रिकॉर्ड" होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, रेवेन्यू रिकार्ड एक बहुत ही वेग टर्म (Vague Term) है। इस रेवेन्यू रेकार्ड में पटवारी के कागजों से लेकर तहसील के सेटलमेन्ट ऑफीसर और जागीर तक के सब रिकार्ड शामिल हैं और इन्हीं पर एन्युअल विलेज खरें तैयार किये जाते हैं। खसरा और खतौनी भी इसमें शामिल हैं। इस वेग टर्म से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में किसका क्या हक उस जमीन पर रहा है, इसलिए यह तहकीकात-करनी जब बहुत आवश्यक हो खुदकाश्त का निर्णय करते समय कि वास्तव में सेटलमेंट के वक्त जांच हुई उस वक्त उस पर किसका हक था और अगर वह जांच होकर किसी के खाते में इन्दराज हुई है तो वह इन्दराज नहीं आया। ऐसा भी हुआ है कि सेटलमेन्ट के वक्त एक के खाते में तो विलेज खरें में एक का नाम था और जो पटवारी के द्वारा तैयार होता है खसरे में, दूसरे का नाम होता है-ऐसी सूरत में वह नहीं माना जाना चाहिये। इसके बारे में आये दिन सवाल हमारे सामने आते हैं कि पटवारियों के इन्द्राज ठीक तरह से नहीं होते, उनमें गलतियां होती हैं। ऐसी सूरत में यह सेटलमेन्ट रिकार्ड का होना रेवेन्यू रेकार्ड के बजाय आवश्यक है और मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 'रेवेन्यू रेकार्ड' की बजाय 'सेटलमेन्ट रेकार्ड' शब्द होने चाहिये और मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय भी इससे सहमत होंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच० के० व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे क्लॉज़ २ में दो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करने हैं। एक सीरियल नं० १४ और एक सीरियल नं० ८७। सीरियल १४ के मेरे अमेन्डमेन्ट का जो मुख्य भाग है वह खुदकाश्त की जो डेफिनिशन अभी प्रस्तावित की गई है उससे ताल्लुक रखता है और उस हद तक वह अमेन्डमेन्ट है, जो मेरे माननीय मित्र श्री वेदपाल ने अभी मूव किया। मुझे जो अभी प्रस्तावित डेफिनिशन है उसके बारे में यह कहना है कि उसमें से पार्ट (१) हटा दिया जावे। पार्ट (१) इस प्रकार है, माननीय उपाध्यक्ष :

"Khudkasht means any land cultivated personally by a jagirdar and includes—

(i) any land recorded as Khudkasht, Sir, or hawala in revenue records," इस अमेन्डमेन्ट को प्रस्तुत करने के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और इस परिभाषा से भविष्य में सारे के सारे टीनेन्सी के कानूनों पर असर पड़ने वाला है। जो ओरिजिनल

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बिल में डेफिनिशन थी, माननीय उपाध्यक्ष, उसमें केवल इतना दर्ज था कि " Khudkasht' means any land personally cultivated by a Jagirdar." अब उस परिभाषा में परिवर्तन किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि रेवेन्यू रिकार्ड अथवा सेटलमेन्ट रिकार्ड में जो जमीन जमीनदार के नाम खुदकाश्त के नाम से दर्ज है उसे भी खुदकाश्त मान लिया जावे, इसमें बहुत बड़ी गलती कानून की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से होगी और वह यह होगी कि खुदकाश्त की जो परिभाषा की जा रही है वह केवल वर्तमान हालत को डेस्क्राइब करने के लिए नहीं बल्कि जागीरदार के बीच में और उस जमीन के बीच में एक लगातार के रिश्ते को सामने लाने के लिए की जा रही है। यदि कोई जमीन ऐसी है कि जो जागीरदार खुदकाश्त उस पर करता हो और दूसरी जमीन ऐसी है कि जो रेवेन्यू के रिकार्ड में दर्ज है खुदकाश्त के रूप में, लेकिन उसके ऊपर जागीरदार खुदकाश्त नहीं करता तो अब इन दोनों में से कौनसी जमीन को खुदकाश्त सही माने में शुमार किया जावे? मौजूदा जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक दोनों जमीनों को खुदकाश्त शुमार किया जावेगा, और इसका नतीजा यह होगा कि खुदकाश्त के नाम पर जमीन का विशेष अंग हो जावेगा कि जो हमारे टीनेन्सी के कानूनों की परिधि से बाहर चला जावेगा। अगर आपने सही माने में दूसरे कानून पास किये हैं और उनको हम अगर अमल में लाना चाहते हैं तो मैं आपका ध्यान एक ऐसे कानून की ओर दिलाऊँगा कि जो युटिलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैण्ड के नाम से मशहूर है।

यदि कोई जमीन जागीरदार के नाम खुदकाश्त के तौर पर दर्ज की है और अगर वह उसके ऊपर खुदकाश्त नहीं कर रहा है, दरअसल वह अगले वर्ष वह जमीन किसी न किसी को देनी पड़ेगी, अगर इस कानून पर अमल करना है तो और अगर देनी पड़ेगी तो फिर उसके साथ ही दूसरे कानून के उसूल से कुछ तात्पर्य निकलेगा और वह अन्त में यह निकलेगा कि उस जमीन को किसी भी माने में खुदकाश्त नहीं समझा जा सकता।

जब हम परिभाषा बना रहे हैं तो यह ऐसी होनी चाहिये जो लगातार के कायम के रिश्ते को व्यक्त कर सके। केवल तात्कालिक जो परिस्थिति है उसे सामने ला पाए, इतनी ही परिभाषा काफी नहीं। इसलिए माननीय राजस्व मन्त्री को इस कथन को मान भी लिया जावे, अगर आर्गुमेन्ट्स के लिए कि जो घोरे काश्तकार के पॉवर में हैं वे काश्तकार को मिलें और जो घोरे जागीरदार के हैं वे उसको मिलें; इस बात को मान भी लिया जावे तो भी खुदकाश्त की यह परिभाषा गलत होगी कि जो आज ग्रान्ट की गई है इसको लगातार कायम के सम्बन्ध के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं, चाहे हकीकत आगे चलकर दूसरी भी हो।

दूसरा जो कारण है वह भी इतने ही महत्व का है। वह कारण यह है, माननीय उपाध्यक्ष, कि जब से सेटिलमेंट का कार्य शुरू हुआ है तब से जागीरों के सिलसिले में कुछ कानून बनेगा, ऐसी हवा सारे राजस्थान के अन्दर फैली हुई थी और उस परिस्थिति को महसूस करके यह जागृत तरीके से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कोशिश की है जागीरदारों ने कि खुदकाश्त के नाम से जितनी जमीन दर्ज कराई जाय वह अपने नाम से कराई जाय, अपने दूसरे रिश्तेदारों के नाम से दर्ज कराई जाय और हकीकत तो यह है कि बहुत बड़ी तादाद के अन्दर जमीन उन्होंने खुदकाश्त के अन्दर कर ली है। बेदखली करने की कोशिश नहीं की। बेदखली करने की कोशिश इसलिए नहीं की कि अगर बेदखली करने की कोशिश करते तो लोगों की नजर में आते। कई-कई इलाकों में बेदखलियाँ हुई हैं, तो कई इलाकों में ऐसा हुआ है कि किसान जो काश्त कर रहा है उससे कहा जाता है कि खेत किसी के नाम से दर्ज हो तुमको क्या, हम तुमको जमीन से बेदखल तो नहीं करते हैं। जब तक उसको जमीन से बेदखल नहीं करते हैं तब तक दरअसल में उसको क्या नुकसान होने वाला है और ४-५ वर्ष में हालत यह है कि सेटलमेंट के रेकॉर्ड्स में जमीन खुदकाश्त में दर्ज है, लेकिन फसल किसान करता है और हिस्सा दे रहा है और खुद काश्त की परिभाषा में परिवर्तन करेंगे तो कल उसका नतीजा क्या होगा कि जमीन के ऊपर से कानूनी रूप से किसान को बेदखल करने के लिए मार्ग खुल जायगा। पिछले कई वर्षों से जान-बूझ कर जिस तरीके से जो साजिश चल रही है और जिस साजिश का नतीजा आगे चलकर हमे फायदे के रूप में मिलेगा तो जो साजिश चल रही है उस साजिश को रोकना तो दूर रहा उसको कानूनी जामा हम पहना देंगे। इस कारण जो खुदकाश्त की परिभाषा में परिवर्तन किया जा रहा है वह एक खतरनाक परिवर्तन है; वह किसानों के लिए बड़ा नुकसानदेह परिवर्तन है।

तीसरा कारण जो बहुत ज्यादा जरूरी है वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वह कारण यह है कि सेटलमेंट रेकॉर्ड्स के लिए आज तक जो सेटलमेन्ट एक्ट के अनुसार और टिनेन्सी एक्ट कहा गया है कि रेकॉर्ड स्टेज के अन्दर जो एन्ट्री होगी उसका ऐतराज रेकॉर्ड स्टेज में ही उठा दिया जाय, और अगर उस समय ऐतराज नहीं किया गया तो जो वह एन्ट्रीज़ फाइनल होंगी, लेकिन जिस प्रकार का सेटलमेन्ट हुआ उसमें जो एन्ट्रीज़ रेकॉर्ड की गई हैं उनका किसी को पता नहीं चला और पर्चा खतूनी देने की प्रथा बहुत थोड़े समय से ही शुरू हुई है। विधान सभा में कुछ बहस समेरी सेटलमेंट का कानून पास करते समय हुई और बाद में सेटलमेन्ट कमिश्नर की ओर से ऐसी आज्ञाएं जारी की गई हैं कि रेकॉर्ड में एन्ट्री की जाय तो पर्चा खतूनी दिया जाय। उसके पहले भी सेटलमेन्ट के बारे में सर्वे और रेकॉर्ड स्टेज की हालत थी कि उसमें कोई परचा खतूनी देने की प्रथा को कोई काम में नहीं लाया गया था। उस वक्त इतना ही होता था कि रेन्ट रेट जब तय करके पर्चा लगान दिया जाता था तो काश्तकार को पता चलता था कि उसके नाम का खेत तो और किसी के नाम दर्ज है। अगर हम इस क्लॉज़ का स्ट्रिक्ट मीनिंग लेंगे, रेवेन्यू रेकॉर्ड में जो चीज दर्ज है, रेकॉर्ड स्टेज में जो दर्ज हुई हैं, सेटिलमेंट रेकॉर्ड में जो चीज दर्ज हैं, वह चीज ऐसी हालत में दर्ज हुई हैं कि उसको जिसके खिलाफ एन्ट्रीज़ हो गई हैं पता नहीं है कि एन्ट्री उसके खिलाफ हो गई। तो कोई-कोई तहसील में ऐसी हालत पैदा होगी कि रेकॉर्ड स्टेज में एक एन्ट्री की हुई है और पर्चा लगान उसको दिये जाने के बाद उसमें ऐतराजात देने की नौबत, एतराजात सुने भी जाते हैं कई बार तो इस प्रकार का कानून पास कर देंगे कि जिसका तात्पर्य यह हो कि जो एन्ट्री पुरानी हो गई तो उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते, तो जब कि खुद सेटलमेन्ट विभाग में पर्चा लगान देने के बाद भी रेकार्ड ऑफ राइट्स में संशोधन हो सकता है, एन्ट्रीज़ हो जाने के बाद भी उजरात